



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072024-255713  
CG-DL-E-24072024-255713

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]  
No. 195]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2024/ श्रावण 1, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2024/ SHRAVANA 1, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
अधिसूचना  
अंतिम जांच परिणाम  
नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024  
मामला सं. ओआई - 12/2023

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अन्फ्रेम्ड ग्लास मिरर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।  
फा. सं. 6/12/2023-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

- "अन्फ्रेम्ड ग्लास मिरर" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली "ऑल इंडिया मिरर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन" (जिसे आगे "एआईएमएम" या "एसोसिएशन" भी कहा गया है) से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह बताया गया है कि भारत में उद्योग चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण क्षति उठा रहा है।
- प्राधिकारी ने विभिन्न घरेलू उत्पादकों और उनके एसोसिएशनों द्वारा रिकार्ड में प्राप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार सीमा शुल्क प्राधिकारियों से सूचना मंगाई थी।

3. प्राधिकारी ने मात्रा और कीमत के दोनों दृष्टि से देश में उत्पाद के आयात के रूझान का विश्लेषण किया और विभिन्न अभ्यावेदनों में दी गई जानकारी से उसे मिलाया और यह पता लगाया क्या इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद चीन से उसके सामान्य मूल्य के अनुमानों से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है, क्या उसे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है और क्या कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का पता लगाने के लिए पाटनरोधी जांच करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने उद्योग की प्रकृति, आयात की मात्रा के रूझान, चीन से आयात कीमत, प्रमुख कच्ची सामग्री की प्रचलित कीमतें (फ्लोट / शीट ग्लास) और इस प्रकार प्राप्त बाद के अभ्यावेदनों और पत्रों में दी गई सूचना के आधार पर भारतीय उद्योग पर के संभावित प्रभाव के सूचना के संबंध में भी विचार किया। प्राधिकारी ने सीमा शुल्क प्राधिकारियों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों संबंधी आंकड़े मंगाए थे और उन्हें अपनाया था। प्राधिकारी ने पाया कि पाटन, क्षति और ऐसे पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य थे, जो जांच की शुरुआत को उचित ठहराते हैं।
4. जांच की शुरुआत को उचित ठहराते हुए पाटन, क्षति और ऐसे पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य की मौजूदगी के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना अधिसूचना संख्या 6/12/2023-डीजीटीआर दिनांक 21 सितंबर 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के उप नियम 4 के अनुसार स्वतः आधार पर पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु की कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, से यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### ख. प्रक्रिया

5. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(4) के अनुसार संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित एक जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 21 सितंबर, 2023 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
  - प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशन को भेजी थी और उनसे अनुरोध किया कि वे विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं।
  - प्राधिकारी ने नियमावली के 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को एसोसिएशन द्वारा दायर अभ्यावेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी थी। एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति हितबद्ध पक्षकारों को भी परिचालित की गई थी।
  - भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अपने देश के उत्पादकों / निर्यातकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था।
  - प्राधिकारी ने संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने वाली सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी थी और नियमावली के 6(2) के अनुसार उन्हें अपने अनुरोधों से अवगत कराने का अवसर दिया था।

क्र.सं.	निर्यातक
1.	डोंगगुआंगएमिजे ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
2.	आइकिया सप्लाइ एजी
3.	जोसेफ जोसेफ लिमिटेड
4.	मेसर्स विलेराय एंड बोच एजी
5.	किंगदाओ आग्या इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
6.	किंगदाओ रेजेन्को इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
7.	किंगदाओ रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
8.	किंगदाओ सिम्पासिक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
9.	किनहुआंग दाओ ग्रीन स्टार मिरर कंपनी लिमिटेड
10.	शाहे सिटी लक ग्लास टेक्नोलॉजी
11.	शेडोंग हार्वेस्ट ग्लास कंपनी लिमिटेड
12.	शेडोंग टू ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
13.	शौगुआंगयाओबैंग इंप एंड एक्सप इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
14.	टेंगझोउजिंगचेंग मिरर कंपनी लिमिटेड
15.	टेंगझोउकुन्यू इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड
16.	टियांजिन सनराइज इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
17.	जिंगताई गुडमैनइम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रा
18.	योहायो इंडस्ट्री लिमिटेड
19.	झेजियांग ली हेंग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड

- vi किसी भी निर्यातक ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है और प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं :-

क्र.सं.	आयातक / प्रयोक्ता
1.	ए. एच. ग्लास
2.	एंड मोर स्टोरीज
3.	एटको इंडीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	एटलस ग्लास ट्रेडर्स
5.	दर्शन मिरर
6.	डिज़ाइन डिकोड
7.	एज टू एज
8.	इंजीनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

9.	एनवायरो सेफ्टी ग्लास
10.	फ्लोट ग्लास सेंटर
11.	एफएमबी ट्रेडिंग
12.	एच एस ट्रेडिंग
13.	आइकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14.	जेके ग्लोबल वेंचर्स
15.	के डी इंपेक्स
16.	कृतार्थ इंपेक्स
17.	लेवांटे
18.	एन.एम.स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	ओम ब्यूटी कलेक्शन
20.	पी सी संपत एंड कंपनी
21.	पैकोलिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
22.	क्रास ट्रेडिंग कंपनी
23.	आर के ग्लास सेंटर
24.	आर आर इंडस्ट्रीज
25.	सीबा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
26.	सीव सरफेस कोटिंग पी. लिमिटेड
27.	श्री दरियाव सेल्स
28.	श्रीनाथजी ट्रेड
29.	स्वयंभू एंटरप्राइजेज
30.	यूनिक ट्रेडर्स
31.	उत्तम आर्ट-एन-ग्लास वर्क्स

- viii. किसी भी आयातक और प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में भीगीदारी नहीं की है और प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- ix. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, प्रशासनिक मंत्रालय और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की है। घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी पक्षकार ने वर्तमान जांच में यह प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है।
- x. प्रकटन विवरण जारी करने के बाद निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:
- क. एसयूके इंटरनेशनल  
 ख. किरण इंटरनेशनल  
 ग. रॉयल इम्पैक्स  
 घ. आरआर इंडस्ट्रीज  
 ड. शाइन ग्लास

इन पक्षकारों ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया है और इनके द्वारा प्रस्तुत अनुरोध इस स्तर पर काफी देरी से हैं। यह नहीं दर्शाया गया है कि ये पक्षकार हितबद्ध पक्षकार कहते हैं। फिर भी इन पक्षकारों को स्वयं को पंजीकृत करने और उत्तर देने और अपनी चिंताएं बताने के अनेक अवसर दिए गए जिसका इन पक्षकारों ने लाभ नहीं उठाया। इस प्रकार इन पक्षकारों को संबद्ध जांच के लिए हितबद्ध पक्षकार पक्षकार नहीं माना जा रहा है।

- xi. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 - मार्च 2023 (12 महीने) की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच अवधि 2019-20, 2020-21, 2021-22 और पीओआई की है।
- xii. 2019-20 से 2022-23 की अवधि के लिए डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित आयात आंकड़ों के आधार पर अभ्यावेदन किए गए थे। प्राधिकारी द्वारा एक अनुरोध डीजी सिस्टम्स से किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जिसे प्राधिकारी ने प्राप्त किया और उन पर जांच शुरूआत और वर्तमान जांच के लिए विचार किया गया है।
- xiii. वर्तमान उद्योग की प्रकृति को देखते हुए प्राधिकारी ने निम्नलिखित कंपनियों को अनुबंध-III के अनुसार क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के लिए सूचना दी है।
  - क. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड
  - ख. कालकाजी ग्लासेज प्राइवेट लिमिटेड
  - ग. इमर्ज ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  - घ. बीएम ग्लासटेक
- xiv. प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग से अतिरिक्त सूचना मांगी थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले के अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- xv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के अगोपनीय अंश उपलब्ध रखे हैं। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें।
- xvi. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए 9 फरवरी, 2024 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप में व्यक्त विचारों को तथा खंडन अनुरोधों यदि कोई हों, को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
- xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, दिए गए तर्कों और जांच की प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत समझे जाने की सीमा तक इन जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है।
- xviii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xix. हितबद्ध पक्षकार और घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और आंकड़ों की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध

पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं अपेक्षित हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

- xx. इस जांच के अनिवार्य तथ्यों, जो जांच परिणामों का आधार हैं, वाला एक प्रकटन विवरण 30.05.2024 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उन पर टिप्पणी देने के लिए 06.06.2024 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- xxi. इस अंतिम जांच परिणाम में '\*\*\*\*' हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 81.06 भारतीय रूपए है।
- xxiii. इस दस्तावेज में निम्नलिखित शब्द-संक्षेप का प्रयोग किया गया है:

क्र.सं.	शब्द-संक्षेप	पूर्ण वर्णन
क.	डीआई	घरेलू उद्योग
ख.	एमओएफ	वित्त मंत्रालय
ग.	पीयूसी	विचाराधीन उत्पाद
घ.	अधिनियम	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
ङ.	नियम	सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995
च.	अन्य हितबद्ध पक्षकार	वर्तमान जांच में भागीदारी करने वाले और पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकार
छ.	ईआईक्यू	आर्थिक हित प्रश्नावली
ज.	ईक्यूआर	निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर
झ.	एआईएमएमए	ऑल इंडिया मिरर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
ञ.	एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "अन्फ्रेम्ड ग्लास मिरर" हैं।
- ii. संबद्ध वस्तु के सौदे विभिन्न नामों से होते हैं और नामों की विस्तृत सूची निम्नानुसार है:
  - शीट ग्लास मिरर
  - पेंटेड मिरर ग्लास
  - एल्युमिनियम मिरर ग्लास
  - शीट मिरर
  - मिरर ग्लास
- iii. अन्फ्रेम्ड ग्लास मिरर एक तरफ रिफ्लेक्टिव सतह होते हैं और दूसरी तरफ पेंटेड होते हैं इसे प्लेटों में उत्पादित किया जाता है और स्थान तथा प्रचालकों के आधार पर इसे मिलिंग, बेवलिंग, ग्रीविंग द्वारा छोटे आकार में काटा जाता है और विभिन्न प्रिंटिंग पद्धतियों के माध्यम से प्रयोग के लिए तैयार किया जाता है।
- iv. ये वस्तुएं आठ अंकीय कोड 70099100 के अंतर्गत अध्याय 70 के अधीन वर्गीकृत हैं।
- v. अन्फ्रेम्ड ग्लास मिरर को फ्लोट ग्लास या शीट ग्लास के साथ उत्पादित किया जा सकता है। फ्लोट ग्लास या शीट ग्लास वाले अन्फ्रेम्ड ग्लास मिरर के बीच सामग्री घटक में कोई अंतर नहीं है और दोनों कच्ची सामग्रियों का ग्लास मिरर की विनिर्माण प्रक्रिया में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।
- vi. घरेलू उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री चीन में संबद्ध वस्तु के लिए प्रयुक्त सामग्री के समान है, जो या तो फ्लोट ग्लास या शीट ग्लास हैं। उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त अन्य कच्ची सामग्री एल्युमिनियम, टंकस्टन, बेस कोट पेंट और टॉप कोट पेंट हैं। ये सभी अन्फ्रेम्ड ग्लास मिरर के उत्पादन में एक जैसे हैं।
- vii. मिरर के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया ग्लास की ऊपरी सतह को धोकर साफ करने से शुरू होती है उसके बाद ग्लास को माइनस दो डिग्री के वैक्यूम कक्ष में एल्युमिनियम के ब्लॉस्ट से कोट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोई ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि धूल एल्युमिनियम को काला कर देगी। एल्युमिनियम को टंकस्टन पर 400 डिग्री पर गर्म किया जाता है और उसकी भाप को ग्लास के नजदीक रखा जाता है जो बाद में ग्लास पर चिपक जाती है। इसके बाद एल्युमिनियम को बेस कोट पेंट से कोट किया जाता है। जिलीन और टॉलीन को पेंट को पतला करने के लिए पेंट में मिलाया जाता है। बेस कोट पेंट के सूखने के बाद टॉप कोट पेंट अप्लाई किया जाता है जिससे अंत में अंतिम लेयर बेक हो जाती है। यह प्रक्रिया काफी अधिक ऑटोमेटेड है।
- viii. फ्रेम्ड ग्लास मिरर या डेकेरेटिव ग्लास मिरर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। फ्रेम्ड ग्लास मिरर ऐसे ग्लास मिरर हैं जिनके चारों ओर फ्रेम लगा होता है। ये अन्फ्रेम्ड ग्लास मिरर की तुलना में एक बिल्कुल एचएस कोड 7009 92 00 के अंतर्गत आते हैं जो एचएस कोड 70099100 के अंतर्गत आता है। इन ग्लास मिरर में लकड़ी, धातु, या प्लोस्टिक के फ्रेम होते हैं और प्लेन, रंगीन या सजावटी प्रकृति के होते हैं। डेकेरेटिव ग्लास मिरर वाल हैंगिंग और डिस्प्ले के लिए कलात्मक फ्रेमों के साथ फ्रेम्ड ग्लास मिरर होते हैं।
- ix. ग्लास मिरर को सिल्वर के ब्लॉस्ट से कोट किया जाता है। तथापि, सिल्वर द्वारा कोटेड मिरर ग्लास विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशेष रूप से बाहर हैं। सिल्वर द्वारा कोटेड ग्लास मिरर को बीआईएस मानक 3438: 2023 का अनुपालन करना अपेक्षित है। सिल्वर द्वारा कोटेड ग्लास मिरर को केवल तभी छूट देनी चाहिए यदि वह बीआईएस मानक 3438: 2023 के अनुपालन में हो।

- x. भारत में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई और संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संबद्ध देश से संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से तुलनीय हैं। तथापि, प्रत्येक उत्पादक आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अपनी उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है।
- xi. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ के वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. जांच शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे पीयूसी कहा गया है) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

*“3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर” है। ग्लास मिरर में एक संरक्षित पिछली सतह होती है। इसमें एक तरफ प्रतिबिंब दिखाने वाली सतह होती है और दूसरी ओर इसे पेंट किया जाता है। इसे प्लेटों में उत्पादित किया जाता है और स्थान और प्रचालकों के आधार पर इसे मिलिंग, बेवलिंग, ग्रोविंग और विभिन्न मुद्रण पद्धतियों द्वारा अंतिम प्रयोग हेतु तैयार करने के लिए छोटे आकारों में काटा जाता है।*

*4. घरेलू उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री चीन से संबद्ध वस्तु के लिए प्रयुक्त सामग्री के जैसी है जिसमें फ्लोट ग्लास, एल्युमिनियम, टंगस्टन, बेस कोट पेंट और टॉपकोट पेंट शामिल हैं। इस उत्पाद को मुख्यतः वस्तुकला और फर्नीचर निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसे निर्माण व्यवसाय में इंटीरियर की सजावट के लिए सजावटी और फंक्शनल सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है।*

*5. यद्यपि यह उत्पाद विभिन्न मोटाई में हो सकता है, तथापि, 90 प्रतिशत उत्पाद 3 एमएम के होते हैं। विनिर्माण प्रक्रिया और उत्पाद की अलग-अलग मोटाई के गठन में कोई अंतर नहीं है। उत्पाद की मोटाई उसके प्रयोग पर आधारित है। उत्पाद आकार में परिवर्तन उत्पादन की इकाई लागत और बिक्री कीमत (भार आधार पर) में वास्तविक रूप से कोई परिवर्तन नहीं करता है।*

*6. उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 7009 के अंतर्गत और 8 अंकीय कोड 7009 91 00 के अंतर्गत अध्याय 70 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतिक है और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”*

- 9 प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां देने का अवसर दिया। प्राधिकारी को केवल घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशन से टिप्पणियां प्राप्त हुईं।
10. प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने डीजीटीआर के वेबसाइट पर प्रकाशित दिनांक 12 दिसंबर, 2023 की सूचना द्वारा पीयूसी को निम्नानुसार परिभाषित किया है:



“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पादन “अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर” है। इस उत्पाद को वैश्विक रूप से अन्य नामों जैसे “शीट ग्लास मिरर”, “फ्लोट ग्लास मिरर”, “पेटेड मिरर ग्लास”, “एल्यूमीनियम मिरर ग्लास”, “शीट मिरर”, “मिरर ग्लास”, आदि के नाम से भी जाना जाता है। ग्लास मिरर में एक संरक्षित पिछली सतह होती है। इनमें एक तरफ परावर्ती सतह वाले होते हैं और दूसरी तरफ पेटेड होते हैं। इसे प्लेटों में उत्पादित किया जाता है और स्थान तथा प्रचालकों के आधार पर इसे मिलिंग, बेवलिंग, ग्रीविंग द्वारा छोटे आकारों में काटा जाता है और अंतिम प्रयोग के लिए तैयार करने हेतु विभिन्न मुद्रण पद्धतियों से बनाया जाता है।

घरेलू उत्पाद से विनिर्माण के लिए प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री चीन से संबद्ध वस्तु के लिए प्रयुक्त सामग्री के समान है जो या तो फ्लोट ग्लास या शीट ग्लास के अनुसार है। उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त अन्य कच्ची सामग्री एल्युमिनियम, टंकस्टन, बेस परत पेंट और शीट्स परत पेंट हैं। ये सभी अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर के उत्पादन के लिए सामान्य हैं। फ्रेम्ड ग्लास मिरर या सजावटी ग्लास मिरर और सिल्वर द्वारा कोटेड ग्लास मिरर स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

इस उत्पाद का प्रयोग मुख्यतः वस्तुकला और फर्नीचर विनिर्माण में होता है। इसे निर्माण व्यवसाय में आंतरिक साज-सज्जा के लिए सजावटी और कार्यशील सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है।

यद्यपि उत्पाद विभिन्न मोटाई का हो सकता है। तथापि, 90 प्रतिशत उत्पाद तीन मि.मी. के होते हैं। विभिन्न मोटाई की उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया और संघटन में कोई अंतर नहीं होता है। मोटाई उत्पाद प्रयोग पर आधारित होती है। उत्पाद के आकार में बदलाव से उत्पाद की इकाई लागत और विक्री कीमत पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है (भार आधार पर)

इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 70 के अंतर्गत उपशीर्ष 7009 और आठ अंकीय कोड 7009 91 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर फ्लोट ग्लास या शीट मिरर के निर्मित ग्लास होते हैं। ग्लास को पहले अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर के रूप से उत्पादित किया जाता है। अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर के बाद में उपभोक्ता के जरूरत के अनुसार काटा जाता है। इसे ट्रेनिंग के बिना प्रयोग किया जा सकता है या इसे बनाया और प्रयोग किया जा सकता है।
12. फ्रेम्ड ग्लास मिरर या डेकोरेटिव ग्लास मिरर विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। फ्रेम्ड ग्लास मिरर प्रयोग के लिए तैयार आकार और रूप में होते हैं और अपने चारों ओर स्थायी फ्रेम के साथ लगाए जाते हैं। ये गैर फ्रेम्ड ग्लास मिरर के विपरीत बिल्कुल अलग एचएस कोड 7009 92 00 के अंतर्गत आते हैं। इन ग्लास मिरर में लकड़ी धातु या प्लास्टिक के बने फ्रेम लगे होते हैं। ये फ्रेम टेक्सचर या डेकोरेटिव प्रकृति के होते हैं। डेकोरेटिव ग्लास मिरर दीवार पर लगाने के लिए कलात्मक फ्रेम के साथ और सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रदर्शन के साथ फ्रेम्ड ग्लास मिरर होते हैं। फ्रेम्ड ग्लास मिरर का सौदा अंतिम रूप में होता है और इसे छोटे आकार में काटा या पुनः फ्रेम या बाजार में बेचा नहीं जाता है।
13. अनफ्रेम ग्लास मिरर मानक आकार में पूरी शीट में आते हैं। मानक आकार विशेष रूप से नीचे दिए गए हैं। तथापि, ये केवल दर्शाने के लिए हैं और विचाराधीन उत्पाद के आकार पर बाध्यकारी नहीं हैं:

क. 1220x1830 मिमी

ख. 1220x2440 मिमी

ग. 1070x1830 मिमी

घ. 1830x2440 मिमी

14. प्राधिकारी विशेष रूप से सिल्वर से कोटेड मिरर ग्लास को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखते हैं। आयात आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि उत्पाद के कोई आयात नहीं हुए हैं। सिल्वर से कोटेड की तुलना में एल्युमिनियम से कोटेड उत्पादों की लागत और कीमत में भारी अंतर होता है। घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से सिल्वर से कोटेड उत्पाद को बाहर रखने पर सहमति जताई है।
15. अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर को फ्लोट ग्लास या शीट ग्लास में उत्पादित किया जा सकता है। फ्लोट ग्लास या शीट ग्लास से निर्मित अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर के बीच कोई सामग्री घटक का अंतर नहीं है और ग्लास मिरर की विनिर्माण प्रक्रिया में इन दोनों कच्ची सामग्रियों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। फ्लोट ग्लास या शीट ग्लास से उत्पादित अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर की उत्पादन लागत में कोई वास्तविक अंतर नहीं है।
16. प्राधिकारी ने दिनांक 12 दिसंबर 2023 की अधिसूचना द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया है कि संबद्ध जांच में किसी पीसीएन की आवश्यकता नहीं है।
17. प्राधिकारी पीयूसी के दायरे को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं:

*“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पादन “अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर” है और इसे वैश्विक रूप से अन्य नामों जैसे “शीट ग्लास मिरर”, “फ्लोट ग्लास मिरर”, “पेंटेड मिरर ग्लास”, “एल्यूमीनियम मिरर ग्लास”, “शीट मिरर”, “मिरर ग्लास”, आदि के नाम से भी जाना जाता है। अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर में एक संरक्षित पिछली सतह होती है। जिसमें एक तरफ परावर्ती सतह होती है। ये दूसरी तरफ पेंटेड होते हैं। फ्रेम्ड ग्लास मिरर या सजावटी ग्लास मिरर और सिल्वर द्वारा कोटेड ग्लास मिरर स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।”*

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के अनुसार तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर समान वस्तु हैं।

#### घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

##### घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार के विचार

19. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

##### घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

20. घरेलू उद्योग दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- एसोसिएशन ने एसोसिएशन के सदस्यों और भारतीय उद्योग के उत्पादकों की ओर से आवेदन दायर किया है। 17 उत्पादकों की ओर से पाटनरोधी शुल्क की मांग करते हुए 18 अभ्यावेदन दायर किए गए थे।
- भारत में अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर उद्योग काफी बिखरा हुआ है और उसमें बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक शामिल हैं। भारत में लगभग 27 विनिर्माता हैं जिनमें 23 एमएसएमई श्रेणी के हैं और 4 बड़ी कंपनियां हैं।

- iii. एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उत्पादकों के नाम हैं और उत्पादकों अर्थात् सेंट-गोबेन इंडिया प्रा. लिमिटेड और असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड को बाहर रखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां केवल सिल्वर कोटेड अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर का उत्पादन करती हैं। तथापि, इन उत्पादकों ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है और इस प्रकार इन्हें भारतीय उत्पादकों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारतीय उद्योग ने इस उत्पाद के 27 घरेलू उत्पादक शामिल हैं।
- iv. एसोसिएशन ने आंकड़ों के उपलब्ध होने की सीमा तक भारतीय उत्पादन का विवरण दिया है। एसोसिएशन के सदस्य और गैर सदस्य कंपनियों दोनों के संबंध में आंकड़े दिए गए थे। चूंकि एसोसिएशन हाल ही में पंजीकृत हुई थी। इसलिए उत्पाद के सभी उत्पादक इस समय एसोसिएशन के सदस्य नहीं बने हैं। एसोसिएशन ने यह समझते हुए सदस्यों और गैर सदस्यों दोनों के संबंध में जानकारी दी है कि एसोसिएशन पर गैर सदस्यों के संबंध में सूचना देने का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। इन कंपनियों के पास संयुक्त रूप से पात्र घरेलू उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।
- v. एसोसिएशन ने एसोसिएशन के सदस्यों और भारत में अन्य उत्पादकों की ओर से जांच शुरुआत के बाद के अनुरोध भी प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित कंपनियों ने जांच शुरुआत के बाद के अनुरोध के साथ क्षति संबंधी सूचना दी है।
1. एबल ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स
  2. एंटिक कांच
  3. बीएम ग्लासटेक
  4. इमर्ज ग्लास
  5. कालकाजी ग्लास
  6. मनहर कांच
  7. गोल्ड प्लस
- vi प्राधिकारी ने लागत संबंधी सूचना के लिए निम्नलिखित कंपनियों को चुना है। इन कंपनियों ने लागत संबंधी जानकारी दी है।
- क. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड
  - ख. कालकाजी ग्लासेज प्रा. लिमिटेड
  - ग. इमर्ज ग्लास इंडिया प्रा. लिमिटेड
  - घ. बीएम ग्लासटेक

### घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. एडी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

22. वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों की ओर से एआईएमएमए प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुपालन में स्वतः शुरू की गई है। प्राधिकारी को निम्नलिखित कंपनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिन्होंने जांच की शुरुआत की मांग की।

1. एबल ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  2. एबल ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स
  3. एक्यूरेट मिरर
  4. अरुण ग्लास वर्क्स
  5. एंटीक ग्लास इंडस्ट्रीज
  6. बीएम ग्लास टेक
  7. सी.एस. मिरर
  8. इमर्ज ग्लास
  9. गणेश प्रोसेस
  10. ग्लासिक मिरर इंडस्ट्रीज
  11. जय शिवांश मिरर प्राइवेट लिमिटेड
  12. कालकाजी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
  13. मनहर ग्लास
  14. साईकिरन ग्लास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
  15. श्रीजी इंडस्ट्रीज
  16. श्रीचक्र लेमिनेट्स
  17. श्री मूकाम्बिका मिरर वर्क्स
23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग में उत्पाद के 25 घरेलू उत्पादक शामिल हैं। 23 उत्पादक एमएसएमई श्रेणी के हैं और दो बड़ी कंपनियां हैं।
24. वे कंपनियां जो एसोसिएशन के सदस्य हैं और जिन्होंने जांच शुरूआत से पहले या बाद में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैं।

#### एमएसएमई कंपनियां

1. एबल ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स
2. एंटीक ग्लास इंडस्ट्रीज
3. बीएम ग्लास टेक
4. जय शिवांश मिरर प्राइवेट लिमिटेड
5. कालकाजी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
6. मनहर ग्लास
7. श्रीजी इंडस्ट्रीज
8. श्रीचक्र लेमिनेट्स
9. साईकिरन ग्लास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
10. ग्लासिक मिरर इंडस्ट्रीज
11. एबल ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
12. अरुण ग्लासवर्क
13. श्री मूकाम्बिका मिरर वर्क्स

#### बड़ी कंपनियां:

14. इमर्ज ग्लास
15. गोल्ड प्लस

25. वे कंपनियां जो एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं परंतु जिन्होंने जांच शुरूआत से पहले या उसके बाद अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

#### एमएसएमई कंपनियां

1. गणेश प्रोसेस
2. एक्यूरेट मिरर
3. सी.एस. मिरर

26. वे कंपनियां जो एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं और जिन्होंने इस जांच में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

#### एमएसएमई कंपनियां

1. बेंगलोर हार्डवेयर
2. गुरुनानक मिरर इंडस्ट्रीज
3. ईगलटफ ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
4. जी.डी. मिरर इंडस्ट्री
5. मां भगवती ग्लास
6. फिलिप्स मिरर
7. प्रेशियस इंडस्ट्रीज

- vii) एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लिखित है कि सेंट-गोबेन इंडिया प्रा. लिमिटेड और असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड को संबद्ध वस्तु का घरेलू उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये कंपनियां केवल सिल्वर कोटेड अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर का उत्पादन करती हैं। इन उत्पादकों ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया था। तथापि, इन उत्पादकों ने प्राधिकारी को आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की थी। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी मानते हैं कि सेंट-गोबेन इंडिया प्रा. लिमिटेड और असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड एल्यूमिनियम कोटेड मिरर ग्लास अर्थात् पीयूसी का उत्पादन नहीं करती है और इसलिए वे पीयूसी के उत्पादक नहीं हैं।

27. जांच शुरूआत के बाद निम्नलिखित कंपनियों ने जांच शुरूआत के बाद के अनुरोधों के साथ क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है।

1. एबल ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स
2. एंटीक ग्लास
3. बीएम ग्लासटेक
4. इमर्ज ग्लास
5. कालकाजी ग्लास
6. मनहर ग्लास
7. गोल्ड प्लस

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पाक अधिककांशतः एमएसएमई श्रेणी के हैं जो बिखरे हुए और असंगठित हैं। बड़ी संख्या में उत्पादक होने के कारण प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू उत्पादकों की सैंपलिंग करने का निर्णय लिया। प्राप्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने लागत संबंधी जानकारी मंगाने के लिए निम्नलिखित कंपनियों का नमूना लिया।

1. बीएम ग्लासटेक
2. इमर्ज ग्लास

3. कालकाजी ग्लास
4. गोल्ड प्लस

29. प्राधिकारी को पूर्वोक्त नमूना कंपनियों से लागत तथा क्षति संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है।

30. उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी एबल ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स, एंटीक ग्लास, बीएम ग्लासटेक, इमर्ज ग्लास, कालकाजी ग्लास, मनहर ग्लास और गोल्ड प्लस को क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग मानते हैं। इन उत्पादकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 88 प्रतिशत है। इसके अलावा, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के इनमें से किसी भी उत्पादक ने आयात नहीं किया है न ही वे संबद्ध वस्तु के आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं। इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि ये उत्पादक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं।

**ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

**ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

31. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

**ड.2 घरेलू उद्योग के विचार**

32. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- i. चीन को पूर्ववर्ती मामलों में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई स्थिति और अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों के दृष्टिकोण के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था मानना चाहिए। चीन के उत्पादकों के लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- ii. प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-1 के पैरा 1-6 का पालन तभी करेंगे यदि चीन की कंपनियां यह साबित करें कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना ऐसी है कि अलग-अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीन की कंपनियां यह दर्शाने में असमर्थ रहती हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना अपनाई नहीं जा सकती तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार कर देंगे।
- iii. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1-6 चीन जन. गण. से आयातों के सामान्य मूल्य की गणना तब तक लागू नहीं होंगे जब उत्पादक / निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य न दर्शाएं कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- iv. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत के संगत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का परिकल्पित मूल्य उपलब्ध नहीं है। तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत पर भी विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संबद्ध वस्तु मुख्यतः चीन जन. गण. से भारत में आयात की जा रही है और अन्य देशों से आयातों की मात्रा काफी कम है।

- v. इस प्रकार सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को जोड़ने के बाद परिकलित किया गया है। घरेलू उद्योग की सूचना के आधार पर तर्कसंगत लाभ मार्जिन और एसजीए तथा परिवर्तन लागत सहित कीमत में समायोजन किए गए थे।
- vi. निर्यात कीमत को कारखानाद्वारा कीमत निर्धारित करने के लिए आवश्यक समायोजनों के बाद डीजी सिस्टम के प्रकाशित आंकड़ों से अपनाई गई जांच अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के लिए निर्धारित करना चाहिए।
- vii. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तरों से अधिक है, बल्कि संबद्ध देश के लिए काफी अधिक भी है।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

#### ड.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

33. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

34. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा:

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
- (iii) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (iv) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (v) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

35. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।
36. जांच शुरुआत के समय प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संबंध में कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा एसजीए और लाभ के लिए आवश्यक योग के साथ उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कार्रवाई की थी। जांच शुरुआत पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों को जांच शुरुआत का उत्तर देने और उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के निर्धारण के लिए संगत सूचना देने की सलाह दी थी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मापदंडों के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता के खंडन के लिए



सभी ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली भेजी थी और विस्तृत संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा था। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. की सरकार से भी चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों को संगत सूचना की सलाह देने का अनुरोध किया था।

37. किसी भी निर्यातक / उत्पादक ने चीन को एनएमई के दर्जे का विरोध नहीं किया है। इस प्रकार इस स्थिति को देखते हुए और चीन की निर्यातक कंपनी द्वारा गैर बाजार अर्थव्यवस्था मान्यता के खंडन के अभाव में प्राधिकारी चीन जन. गण. को वर्तमान जांच में एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश मानना उचित समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं।

38. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में प्रावधान है कि :

*“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”*

39. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण का क्रम निर्धारित है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर या जहां ऐसा संभव न हो वहां यदि आवश्यक हो, तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करते हुए विधिवत रूप से समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध-7 के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत या परिकलित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है। वर्तमान जांच में संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से भारत में आयात कम मात्रा में है। इस प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में आयातों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जा सकता है।

40. अतः प्राधिकारी ने चीन में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य को एडी नियमावली 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यथा निर्धारित “भारत में वास्तव में देय कीमत” के रूप में सामान्य मूल्य का प्रारंभिक निर्धारण किया है। इसे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है और उसमें बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए तर्कसंगत योग किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

### ड.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है या प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। चीन में पीयूसी के उत्पादकों / निर्यातकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी

चीन से सभी असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में एडी नियमावली 1995 के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं।

42. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के सौदा-वार आंकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा और मूल्य के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा, संभलाई प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए असहयोग के कारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कीमत समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे तालिका में दी गई है।

### ड.3.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण

43. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र.सं.	उत्पादक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
		(यूएस (डॉलर/एमटी))	(यूएस (डॉलर/एमटी))	(यूएस (डॉलर/एमटी))	%	(रेंज) (%)
1	चीन जन. गण. से सभी उत्पादक / निर्यातक	***	***	***	***	125-135

### च. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

44. अनुबंध-11 के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ... "एसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

#### च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

45. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

#### च.2 घरेलू उद्योग के विचार

46. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- भारतीय उद्योग एमएसएमई क्षेत्र में आता है जो काफी बिखरा हुआ और असंगठित है जिससे ये संवेदनशील हो जाता है। भारत में विनिर्माता अधिकांशतः मालिक-चालित हैं जिनके पास

- तकनीकी विशेषज्ञता और अवसंरचना नहीं है जो सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ प्रतिष्ठानों को चलाते हैं जो इन कंपनियों में अनेक कार्य करते हैं।
- ii. उद्योग चीन से पाटित आयातों के कारण अत्यधिक नुकसान उठा रहा है।
  - iii. भारत बाजार में इस बात की मांग में कोविड के कारण 2020-21 में मामूली गिरावट आई थी, परंतु उसके बाद काफी वृद्धि हुई थी।
  - iv. चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की मात्रा में आधार वर्ष अर्थात् 2019-20 से 2020-21 में गिरावट आई है। तथापि, आयातों में 2020-21 से पीओआई तक भारी वृद्धि हुई है।
  - v. भारतीय उत्पादन और खपत की दृष्टि से चीन से आयात में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है और यह काफी अधिक है।
  - vi. चीन जन. गण. से आयातों की पहुंच कीमत संपूर्ण क्षति अवधि में भारतीय उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम रही है। कीमत कटौती का स्तर खतरनाक है।
  - vii. उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत उत्पादन लागत स्तर से कम रही है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से कम रही है। आयातों के कारण भारतीय बाजार में कीमत न्यूनीकरण हो रहा है।
  - viii. घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं की है।
  - ix. मांग में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की मांग, उत्पादन और बिक्री में 2021-22 तक वृद्धि हुई है। तथापि, मांग में और वृद्धि के बाद भी घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में पीओआई में भारी गिरावट आई।
  - x. उद्योग काफी कम उपयोग स्तर पर कार्य कर रहा है जो विशेष रूप से एमएसएमई कंपनियों के लिए चिंताजनक है।
  - xi. घरेलू उद्योग ने बिजली बिल, बिक्री खाते, बैंक ऋण और उत्पादन विवरण के साक्ष्य दिए हैं जो क्षमता उपयोग और उत्पादन तथा बिक्रियों में गिरावट दर्शाते हैं।
  - xii. मांग में वृद्धि के बाजूबद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई में भारी गिरावट आई है।
  - xiii. लाभप्रदता, घरेलू उद्योग के नकद लाभ और आरओआई में 2021-22 तक सुधार हुआ है और उसके बाद पीओआई में भारी गिरावट आई है। उत्पाद का पाटन इतना अधिक है कि ग्लास की बिक्री ग्लास मिरर के उत्पादन और बिक्री से अधिक लाभप्रद है।
  - xiv. क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या कमोबेश समान रही है। वेतन मजदूरी और प्रति दिन उत्पादकता में 2021-22 तक वृद्धि हुई है और पीओआई के दौरान गिरावट आई है।
  - xv. मात्रात्मक मापदंडों और कीमत मापदंडों के अनुसार घरेलू उद्योग की वृद्धि पीओआई में नकारात्मक रही है।
  - xvi. संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है।
  - xvii. कम से कम 11 कंपनियों को बिल्कुल हाल की अवधि में अपना उत्पादन बंद करने पर बाध्य होना पड़ा है।
  - xviii. मांग में वृद्धि हुई है। मांग में संभावित कमी घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।
  - xix. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
  - xx. उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना में निर्यात बिक्री संबंधी जानकारी नहीं है। इस प्रकार इससे पता चलता है कि उद्योग का फोकस घरेलू बाजार पर है और इसलिए घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है।
  - xxi. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन प्रक्रिया में इस अवधि में कोई खास विकास नहीं हुआ है। प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

- xxii. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
- xxiii. वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के समक्ष सामग्री संबंधी कोई ज्ञात बाधा (कच्ची सामग्री की कमी, विद्युत की कमी, कर अंतर का प्रभाव, पर्याप्त क्षमता का अभाव या निवेश बाधा आदि से संबंधित, संबद्ध वस्तु के उत्पादन या बिक्री से संबंधित) नहीं है।

### च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

47. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

#### च.3.1 मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

48. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत का आकलन घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और डीजी सिस्टम के सौदा-वार आंकड़ों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से आयातों के योग के रूप में किया है जिसे निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

मांग	यूनिट	2019- 20	2020-21	2021-22	पीओआई
डीआई बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	160	99
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	84	60
चीन से आयात	एमटी	48,852	36,285	47,550	66,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	97	135
अन्य देशों से आयात	एमटी	211	303	1465	1621
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	695	769
मांग / खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	114	123

49. यह देखा गया है कि कोविड के कारण 2020-21 में मांग में मामूली गिरावट आई थी, परंतु उसके बाद वृद्धि हुई थी। उत्पाद की समग्र मांग में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है।

#### च.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

- क. समग्र और सापेक्ष रूप से आयात

50. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की आयात मात्राएं और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
<b>आयात मात्रा</b>					
चीन	एमटी	48,852	36,285	47,550	66,000
अन्य देश	एमटी	211	303	1465	1621
<b>कुल आयात</b>	<b>एमटी</b>	<b>49,063</b>	<b>36,588</b>	<b>49,015</b>	<b>67,621</b>
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	17,662	23,463	28,268	17,412
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	160	99
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	4,131	2,761	3,480	2,477
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	84	60
<b>मांग / खपत</b>	<b>एमटी</b>	<b>70,859</b>	<b>62,812</b>	<b>80,763</b>	<b>87,510</b>
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	114	123
उत्पादन (डीआई)	एमटी	16,872	23,501	28,578	17,694
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	169	105
उत्पादन (अन्य)	एमटी	4131	2761	3480	2477
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	84	60
<b>कुल भारतीय उत्पादन</b>	<b>एमटी</b>	<b>21,003</b>	<b>26,262</b>	<b>32,058</b>	<b>20,171</b>
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	153	96
<b>निम्न के संबंध में संबद्ध आयात</b>					
कुल आयात	%	100%	99%	97%	98%
भारतीय उत्पादन	%	233%	138%	153%	335%
भारतीय मांग	%	69%	58%	59%	75%

51. यह देखा गया है कि:

- क. चीन से संबद्ध आयातों की मात्रा में 2020-21 में गिरावट आई और उसके बाद 2021-22 में वृद्धि हुई है। पीओआई में यह सर्वाधिक थी। संबद्ध देश से आयातों में क्षति अवधि में भारी वृद्धि हुई। जब आयातों की मात्रा पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई में लगभग 1.38 गुना रही थी।
- ख. आयातों में आधार वर्ष से पीओआई में लगभग 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- ग. चीन से भारत में आयातों में लगभग 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- घ. भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से चीन से आयातों में क्षति अवधि में काफी वृद्धि हुई है और यह काफी अधिक है। आयातों का बाजार में अधिकांश है जबकि भारतीय उद्योग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम है।

**च.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव**

52. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार कीमतों का पाटित आयातों के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमत में काफी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती।
53. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत हास / न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

**क. कीमत कटौती**

54. कीमत कटौती निर्धारित करने के लिए उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, व्यापार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों के निवल, के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों को सभी कारखानाद्वारा पश्चात खर्चों के लिए बिक्री कीमत में कटौती के बाद कारखानाद्वारा स्तर पर निर्धारित किया गया था।

विवरण	यूनिट	2019- 20	2020-21	2021-22	पीओआई
आयात का पहुंच मूल्य	रु/एमटी	23,086	20,847	24,669	23,858
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	107	103
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	139	153
कीमत कटौती	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	198	245
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	158	186	237
कीमत कटौती	रेंज	50-60	80-90	95-105	120-130

55. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है।

**ख. कीमत हास या न्यूनीकरण**

56. घरेलू बाजार में कीमत हास और न्यूनीकरण के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने (क) बिक्री की इकाई लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत (ग) आयातों की पहुंच कीमत संबंधी सूचना पर विचार किया है जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	112	136
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	139	153
आयात का पहुंच मूल्य	रु/एमटी	23,086	20,847	24,669	23,858
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	107	103

57. बिक्री लागत और बिक्री कीमत में 2020-21 में गिरावट आई और उसके बाद पीओआई में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने बिक्री लागत में वृद्धि से अधिक अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि की है। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि पीओआई में बिक्री लागत में वृद्धि से कम थी। जबकि बिक्री लागत में \*\*\* ₹/एमटी तक की वृद्धि हुई परंतु बिक्री कीमत में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में \*\*\* रूपए की वृद्धि हुई है। यह वह अवधि थी जब चीन से आयातों में भारी वृद्धि हुई थी।
58. यह भी देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है। इसके अलावा, जब क्षति अवधि में बिक्री लागत में भारी वृद्धि हुई है तब आयातों की पहुंच कीमत लगभग स्तर पर रही है। 2021-22 और पीओआई के बीच यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में \*\*\* रूपए/एमटी की वृद्धि हुई है। परंतु आयातों की पहुंच कीमत लगभग समान स्तर पर रही है।

### च.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

59. नियमावली के अनुबंध-11 में यह व्यवस्था है कि पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग शामिल होंगे; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की नीचे चर्चा की गई है :-
- क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां
60. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	71,990	71,990	71,990	71,837
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	100	100	99.78
उत्पादन	एमटी	16,872	23,501	28,578	17,694
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	139	169	105
क्षमता उपयोग	%	23	33	40	25
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	139	169	105
घरेलू बिक्रियां	एमटी	17,662	23,463	28,268	17,412
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	133	160	99

61. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि में एक समान रही है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2021-22 तक वृद्धि हुई। तथापि, उत्पादन में इस अवधि में आयात में अचानक वृद्धि के कारण पीओआई में भारी गिरावट आई है।

- ग. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में आधार वर्ष से 2021-22 में वृद्धि हुई परंतु पीओआई में भारी गिरावट आई। क्षमता उपयोग पूरी क्षति अवधि में कम बना रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग की बिक्रियों में 2021-22 तक वृद्धि हुई। तथापि, इस अवधि में आयातों में अचानक वृद्धि के कारण बिक्रियों में भारी गिरावट आई। यद्यपि आयातों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथापि, घरेलू उद्योग में इस अवधि के दौरान 38 प्रतिशत बिक्रियां गंवा दी।
- ड. घरेलू उद्योग ने देश में मांग पर विचार करते हुए क्षमता स्थापित की है। तथापि, पीओआई में मांग में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय उद्योग के उत्पादन और बिक्री में भारी गिरावट आई है।

**ख. कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन का निलंबन**

62. प्राधिकारी एसोसिएशन के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि कुछ घरेलू उत्पादकों ने संबद्ध देश से पीयूसी के पाटन के कारण अपना उत्पादन रोक दिया है। अपने उत्पादन को रोकने वाले उत्पादकों की सूची निम्नानुसार है:

- i. जय शिवांश मिरर प्राइवेट लिमिटेड
- ii. अरुण ग्लास वर्क्स
- iii. गणेश प्रोसेस
- iv. एक्यूरेट मिरर
- v. सी.एस. मिरर
- vi. गुरुनानक मिरर इंडस्ट्रीज
- vii. ईगलटफ ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
- viii. मां भगवती ग्लास
- ix. श्री मूकाम्बिका मिरर वर्क्स
- x. फिलिप्स मिरर
- xi. जी.डी. मिरर इंडस्ट्री

**ग. मांग में बाजार हिस्सा**

63. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देश	%	69%	58%	59%	75%
अन्य देश	%	0%	0%	2%	2%
घरेलू उद्योग	%	25%	37%	35%	20%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	6%	4%	4%	3%

64. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2021-22 तक वृद्धि हुई है परंतु उसके बाद पीओआई में भारी गिरावट आई है।



- ख. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 2021-22 में मामूली गिरावट आई है परंतु पीओआई में भारी वृद्धि हुई है।
- ग. अधिकांश बाजार पर संबद्ध आयातों का कब्जा है और भारतीय उद्योग की क्षमता प्रयुक्त पड़ी हुई है। इस प्रकार आयातों ने भारतीय उद्योग का बाजार छीन लिया है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

65. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
पीबीआईटी	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	215	393	284
पीबीआईटी	रू./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	285	630	280
नकद लाभ	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	266	536	406
नकद लाभ	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	353	859	401
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	254	670	383

66. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग ने 2020-21 में लाभ कमाना शुरू किया जिसमें आयातों में गिरावट के कारण 2021-22 में और वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने पीओआई में लाभ में गिरावट देखी।
- ख. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और आरओआई में भी यही रुझान देखा गया और 2021-22 तक उसमें सुधार हुआ तथा उसके बाद आयातों में वृद्धि के कारण पीओआई में भारी गिरावट आई।

67. घरेलू उद्योग ने बताया है कि दो घरेलू उत्पादकों अर्थात् गोल्ड प्लस और इमर्ज ग्लास के पास अपने स्वयं के ग्लास संयंत्र हैं। यद्यपि उनमें से एक (गोल्ड प्लस) फ्लोट ग्लास का उत्पादक है। तथापि, दूसरा (इमर्ज ग्लास) शीट ग्लास का एक उत्पादक है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चूंकि ये कंपनियां बैकवर्ड समेकित हैं इसलिए डीजीटीआर या तो उनकी कच्ची सामग्री को बाजार कीमत पर माने जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम डीए के मामले में किया था या वैकल्पिक रूप से डीए को यह मानना चाहिए कि इन कंपनियों का निष्पादन बैकवर्ड समेकन से प्रभावित हुआ है और यह उन्हें नहीं दर्शाता है जो खरीद हुए ग्लास पर निर्भर हैं। यह देखा गया है कि देश में पीयूसी के 25 उत्पादक हैं। उनमें से केवल दो बैकवर्ड समेकित हैं। इन दोनों में से एक ने तब भी पीओआई में वित्तीय घाटा बताया है जब ग्लास पर उत्पादन लागत में विचार किया गया है जबकि दूसरे ने लाभ बताया है। परंतु पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में लाभ में भारी गिरावट की सूचना दी है। घरेलू उद्योग का निर्माण करने वाले अन्य उत्पादकों ने पीओआई में ऋणात्मक या मामूली आय की जानकारी दी है।

**ड. मालसूची**

68. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आरंभिक मालसूची	एमटी	1,371	580	565	823
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	42	41	60
अंतिम मालसूची	एमटी	580	565	823	1,136
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	142	196
औसत मालसूची	एमटी	975	573	694	980
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	71	100
अंतिम स्टॉक में उत्पादन के दिवसों की संख्या	दिन	12	8	10	22

69. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के भीतर मालसूची का औसत स्तर क्षति अवधि में समान स्तर पर रहा है। तथापि, वर्ष के अंत में स्टॉक में उत्पादन के दिनों की संख्या में पीओआई में भारी वृद्धि हुई है।

**च. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

70. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की स्थिति निम्नानुसार रही है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	101	107
वेतन और मजदूरी	रु लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	122	95
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी/दिन	47	65	79	49
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	169	105

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। वेतन और मजदूरी में 2021-22 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद पीओआई में गिरावट आई है। इसके अलावा, प्रति दिन उत्पादकता में 2021-22 तक वृद्धि हुई है और उत्पादन की स्थिति के अनुसरण में पीओआई के दौरान गिरावट आई है।

**छ. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

72. संबद्ध आयातों की कीमतों लागत संरचना में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा और पाटित आयातों से इतर ऐसे कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, पर विचार करने से पता चलता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम था जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती हुई थी। इस उत्पाद के लिए कोई व्यवहार्य प्रतिस्थापन नहीं है। संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि

हुई है और यह ऐसा कारक नहीं हो सकता है जो घरेलू कीमतों को प्रभावित करता हो। इस प्रकार घरेलू उद्योग की कीमतें संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से प्रभावित हुई है।

#### ज. वृद्धि

73. नीचे तालिका में विभिन्न मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि दर्शायी गई है:

वृद्धि	यूनिट	2020-21	2021-22	पीओआई
उत्पादन	एमटी	39%	22%	-38%
बिक्रियां (घरेलू)	एमटी	33%	20%	-38%
औसत मालसूची	एमटी	-41%	21%	41%
पीबीआईटी	रू लाख	185%	121%	-55%
नकद लाभ	रू लाख	253%	143%	-53%
आरओआई	%	154%	164%	-43%

#### झ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

74. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पीओआई में गिरावट आई है और पाटन के कारण पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

#### ञ. पाटन मार्जिन की मात्रा

75. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक है। घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रभाव काफी अधिक है।

#### छ. कारण लिंक स्थापित करने वाले कारक

76. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति दर्शाता है। पाटन आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किया गया है:

क. संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात में चोट की अवधि में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में लगभग 1.38 गुना है। यह सापेक्ष दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना हुआ है।

ख. उतराई मूल्य बिक्री मूल्य के स्तर से नीचे है और पीओआई में बिक्री की लागत से भी कम है जिससे बाजार में मूल्य दमन होता है।

ग. आयात बढ़ रहा है और घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग केवल 20-30% के बीच है। इस प्रकार, आयातों को देखते हुए क्षमताओं का अत्यधिक कम उपयोग किया जाता है।

घ. भारत में कुल मांग में डंप किए गए आयात का बाजार हिस्सा लगभग 79% रहा, जबकि भारतीय उद्योग के पास बाजार हिस्सेदारी का केवल 19% है।

ङ. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि नहीं कर पाया है। घरेलू उद्योग के पास पीओआई में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है, भले ही मांग में वृद्धि हुई हो।

च. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग का मुनाफा काफी प्रभावित हुआ है।

77. उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि संबंधित देश से भारत में पीयूसी के बढ़ते डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है। संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषय वस्तुओं के पाटित आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति के बीच एक मजबूत कारण-कारण संबंध मौजूद है।

#### ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

78. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिससे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो ताकि इन अन्य कारकों की वजह से कोई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस संबंध में, संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमत पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में प्रवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों से क्षति हो सकती है।

#### क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर संबद्ध स्रोतों से आयात कुछ खास नहीं थे।

#### ख. मांग का संकुचन

80. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

#### ग. खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

81. विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

#### घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

82. संबद्ध वस्तु के आयात किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं।

#### ड. प्रौद्योगिकी में विकास

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

#### च. निर्यात निष्पादन

84. प्रदत्त सूचना पर केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालन के लिए विचार किया गया है।

#### झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

85. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। एनआईपी की तुलना क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत के साथ की गई है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण या गैर आवर्ती व्ययों को अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर

नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित एनआईपी ज्ञात करने के लिए एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) के कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी।

86. पहुंच कीमत और ऊपर यथा निर्धारित एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित उत्पादकों / निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	उत्पादक/देश	एनआईपी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन		
		(यूएसडी/एमटी)	(यूएसडी/एमटी)	(यूएसडी/एमटी)	%	(रेंज %)
1	चीन के सभी उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	70-80

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

87. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

88. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- इस उत्पाद को फर्नीचर उद्योग में प्रयोग किया जाता है और आम तौर पर जनता द्वारा अंतिम उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अलमारी और ड्रेसिंग टेबल जैसे फर्नीचर के लिए फर्नीचर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसे तैयार सामान के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और सभी आय समूहों के उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा जाता है।
- अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अत्यंत कम 0.003 प्रतिशत है।
- घरेलू उद्योग एमएसएमई क्षेत्र का है और उसे संबद्ध देश से अनुचित आयातों के कारण नुकसान हो रहा है। संपूर्ण भारतीय उद्योग जो संबद्ध वस्तु का उत्पादन करता है, बिल्कुल बिखरा हुआ और असंगठित है।
- मांग में समाज के विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं द्वारा संबद्ध वस्तु की बढ़ती हुई खपत के कारण और वृद्धि होने की संभावना है। यदि शुल्क लगाया जाता है तो मांग में वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है कि आयात देश में उचित कीमत पर प्रवेश करें। घरेलू उद्योग के लिए कोई एकाधिकार की स्थिति नहीं है।

- vi घरेलू उद्योग आयातों के कारण भारी कीमत कटौती झेल रहा है और घाटे में बिक्री करने को मजबूर है। शुल्क लागू होने से घरेलू उद्योग उचित ढंग से आयातों से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा और लाभप्रद रूप से अपने उत्पाद की कीमत ले सकेगा।
- vii. चीन जन. गण. से निर्यातक / उत्पादक वर्तमान जांच में भागीदारी करने के अनिच्छुक हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से उनके लिए काफी अधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होगा।

### अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, प्रयोक्ता / उपभोक्ता और अपस्ट्रीम इनपुट आपूर्तिकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को पाटनरोधी शुल्क से उनके प्रचालनों पर संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना देने के लिए एक प्रश्नावली भी विहित की गई थी। तथापि, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग से इतर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इसके संबंध में अपनी टिप्पणियां या अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए हैं।
90. संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादक अधिकांशतः एमएसएमई श्रेणी के हैं जो बिखरा हुआ और असंगठित है। यह अनिवार्य है कि एमएसएमई उद्योग अपनी अवसंरचना को कार्यशील रखने के लिए लाभप्रदता के कतिपय स्तर को बनाए रखें। शुल्क लागू होने से बिक्री और कीमत मापदंडों के अनुसार उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी। शुल्क से उचित कीमत के आयातों की मौजूदगी में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने वाले प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाली पाटन की स्थिति का उपचार करना और घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर वाली स्थिति का निर्माण करना है। नियमावली में व्यवस्था है कि लगने वाले शुल्क की राशि उतनी राशि तक सीमित है जो घरेलू उद्योग की क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक हो और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर अनुचित आयातों के प्रभाव का निवारण करें। इस प्रकार कमतर शुल्क का नियम यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय उद्योग का उपचार सीमित हो।
92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद दैनिक प्रयोग / जरूरत के लिए आम तौर पर जनता द्वारा प्रयुक्त एक अंतिम उपयोग उत्पाद है। इसे अलमारी और ड्रेसिंग टेबल जैसे फर्नीचर के लिए फर्नीचर उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसे तैयार सामान के लिए भी प्रयोग किया जाता है और सभी आय वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा जाता है। उपभोक्ता बाथरूम फिटिंग और ड्रेसिंग रूम के लिए अपने घरों में इसका प्रयोग करते हैं।
93. घरेलू उद्योग ने घरों में अंतिम उत्पाद की खपत को ध्यान में रखते हुए तैयार उपभोक्ता सामान में अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर की कुल लागत के हिस्से पर विचार करके प्रभाव की मात्रा बताई है।
94. घरेलू उद्योग ने यह दलील दी है कि तैयार उपभोक्ता सामान में अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर की कुल लागत का हिस्सा काफी कम है। इस प्रकार शुल्क लगाने से अंतिम प्रयोक्ता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
95. पाटनरोधी उपाय से विशेष रूप से तब भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी जबकि पाटनरोधी शुल्क की राशि घरेलू उद्योग की क्षति का उपचार करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू होने से पाटन की प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट पर रोक लगेगी और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग उचित कीमत पर व्यवहार्य बना रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर प्रयोक्ता निरंतर पाटित आयातों पर निर्भर होते जाएंगे।

96. पाटनरोधी शुल्क लागू होने से पीयूसी के आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इससे केवल यह सुनिश्चित होगा कि वे उचित कीमत पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करें। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य केवल पाटित आयातों को रोकना और वास्तविक रूप से नुकसान उठा रहे घरेलू उद्योग को उपचार उपलब्ध कराना है। अब भी बाजार के पर्याप्त हिस्से की मांग ऐसे आयातों द्वारा पूरी की जाएगी।
97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचार उपायों का उद्देश्य संबद्ध वस्तु के अनुचित आयातों के विरुद्ध समुचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है। इसी के साथ प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव आम तौर पर केवल पीयूसी के घरेलू उत्पादकों तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह पीयूसी के प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, शुल्क लगने से देश के भीतर प्रतिस्पर्धी मुद्दे भी हो सकते हैं और प्राधिकारी उन्हें नोट करते हैं।

#### ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

98. प्राधिकरण नोट करता है कि निम्नलिखित पक्षों ने प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद टिप्पणियाँ की हैं। हालाँकि, जिन पार्टियों ने प्रस्तुतियाँ दायर की हैं, उन्होंने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए खुद को इच्छुक पार्टियों के रूप में पंजीकृत नहीं किया है और जांच के दौरान कोई प्रतिक्रिया या प्रस्तुतियाँ देने में विफल रहे हैं।
- क. एसयूके इंटरनेशनल  
ख. किरण इंटरनेशनल  
ग. रॉयल इम्पैक्स  
घ. आरआर इंडस्ट्रीज  
ड. शाइन ग्लास
99. किसी भी अन्य इच्छुक पक्ष ने वर्तमान जांच में कोई प्रस्तुतिकरण नहीं दिया है। यहां उल्लिखित विचार उपर्युक्त पार्टियों के हैं जो खुद को इच्छुक पार्टियों के रूप में पंजीकृत करने में विफल रहे हैं।

#### ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

100. प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. ग्लास मिरर का उत्पादन "शीट ग्लास" या फ्लोट मिरर के प्रयोग से होता है। शीट ग्लास जिसे आयातित किया जा रहा है 1.0 मिमी से 1.25 मिमी मोटाई का है। आयातित किए जा रहे फ्लोट मिरर की मोटाई 1.5 से 2.7 मिमी के बीच है।
- ii. शीट मिरर (एल्युमिनियम कोटेड) दो प्रकार के होते हैं - (क) "क्लीयर ग्लास पर शीट मिरर (एल्यूमीनियम कोटेड)" और (ख) प्रिंटेड ग्लास पर शीट मिरर (एल्यूमीनियम कोटेड)।
- iii. ऑटोमेटिक संयंत्र द्वारा एल्युमिनियम कोटेड शीट मिरर का उत्पादन करने वाला केवल एक विनिर्माता इमर्ज ग्लास इंडस्ट्री है जिसकी कच्ची सामग्री 1.3 एमएम एल्युमिनियम मिरर - 1.7 एमएम एल्युमिनियम मिरर के बीच की है। इमर्ज ग्लास के पास प्रति माह लगभग 100 मीट्रिक टन की क्षमता है, जो कभी भी अपेक्षाकृत पतले एल्युमिनियम मिरर के स्थानीय मांग को कभी पूरा नहीं कर सकती है।
- iv. फ्लोट मिरर (एल्यूमीनियम कोटेड) तीन प्रकार के होते हैं - (क) क्लीयर ग्लास पर फ्लोट मिरर (एल्यूमीनियम कोटेड); (ख) टिंटेड ग्लास पर फ्लोट मिरर (एल्यूमीनियम कोटेड) और (ग) क्लीयर ग्लास

पर फ्लोट मिरर (कलर कोटेड) जिसमें रोज गोल्ड, गुलाबी, सुनहरा, गहरा पीला जैसे कुछ रंग होते हैं जिन्हें भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है। भारत में कलर कोटेड एल्युमिनियम मिरर को कोई विनिर्माता नहीं है।

- v. केवल एक विनिर्माता गोल्ड प्लस ग्लास प्राइवेट लिमिटेड है जिसने ऑटोमेटिक एल्युमिनियम कोटेड मिरर प्लांट लगाया है जिसमें 3 मिमी और उससे अधिक की मोटाई वाली कच्ची सामग्री है और वे भारतीय बाजार में उच्च कीमत पर एकाधिकार में बिक्री कर रहे हैं।
- vi. भारत में निम्नलिखित का कोई उत्पादन नहीं है – (क) क्लीयर फ्लोट ग्लास – जिसकी मोटाई 1.5 मिमी से 2.7 मिमी की रेंज में हैं; (ख) टिंटेड फ्लोट ग्लास जिसकी मोटाई 1.5 मिमी और उससे अधिक की रेंज में हैं और (ग) क्लीयर शीट ग्लास जिसकी मोटाई 0.90 मिमी से 1.25 मिमी की रेंज में है। पक्षकारों ने ऐसे मिरर उत्पादों को छूट देने का अनुरोध किया है जिनका भारत में उत्पादन नहीं होता है या अत्यंत कम मात्रा में उत्पादन होता है।
- vii. शुल्क लागू होने से नौवहन कारगो, रेलवे, कारगो, परिवहन, निकासी, सीमा शुल्क निकासी आदि सहित आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। इससे सरकारी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उपकर, जीएसटी आदि में नुकसान होगा। लघु विनिर्माता भी प्रभावित होंगे। अंत में, यदि शुल्क लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग कीमत बढ़ा देगा।
- viii. पीयूसी को पाटनरोधी शुल्क से छूट देने का अनुरोध किया जाता है, क्योंकि अनेक मिरर उत्पाद भारत में उत्पादित नहीं होते हैं या अत्यंत कम मात्रा में उत्पादित होते हैं। अतः आयात होना निश्चित है।

## ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

101. प्रकटन विवरण जारी करने के बाद घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने पहले किए गए अपने अनुरोध को दोहराया है कि गोल्ड प्लस और इमर्ज प्लस के लिए और कच्ची सामग्री की कीमत आबद्ध इनपुट लागत के बजाय बाजार कीमत पर ध्यान में रखी जाए।
- ii. गोल्ड प्लस जैसे घरेलू उत्पादक बाजार में ग्लास की बिक्री करते हैं और उनका निष्पादन ग्लास की बाजार कीमत के आधार पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए। यदि आबद्ध इनपुट लागत से लिया जाए तो उसके लिए आय को जोड़ा जाना चाहिए।
- iii. कुछ घरेलू ग्लास उत्पादक भी विशेष रूप से बाजार से ग्लास खरीदने वाले उत्पादक घाटा उठा रहे हैं। इसके विपरीत अपना स्वयं का ग्लास उत्पादित करने वाली गोल्ड प्लस जैसी कंपनियां लाभप्रद हैं। उन उत्पादकों के बीच भी इमर्ज ग्लास जैसे उत्पादकों के घाटे स्पष्ट हैं। गोल्ड प्लस का क्षमता उपयोग 2021-22 से पीओआई में कम हुआ है जिससे ग्लास मिरर बेचने से अधिक फायदा बाजार में ग्लास बेचने से है।
- iv. अरुण ग्लास वर्क्स, एंटीक ग्लास और श्रीजी इंडस्ट्रीज सहित अनेक ग्लास कंपनियों ने उत्पादन में कमी देखी है जिससे बिजली के भुगतान में कमी का पता चलता है। एंटीक ग्लास और कालकाजी ग्लास ने चार वर्षों में बिक्री में गिरावट देखी है। एबल ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स को घटते हुए कारोबार को झेलना पड़ा है जिससे ऋण वापसी भुगतान में समस्या हुई है। मनहन ग्लास ने चीन के आयातों से प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतों में कमी की है। इमर्ज ग्लास अपने आकार के बावजूद 2020-21 से 2022-23 में बिक्री में भारी घाटा झेल रहा है जिससे आयातों के कारण एक उत्पादन लाइन बंद हो गई है।
- v. 2021-22 में आयातों में गिरावट आने तक घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। पीओआई में आयातों में वृद्धि के कारण उद्योग का निष्पादन खराब हुआ है।



- vi उद्योग का क्षमता उपयोग काफी कम है और घटता हुआ है, जो वास्तव में भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के उपयोग से काफी कम है।
- vii. पहुंच कीमत, बिक्री कीमत तथा उत्पादन लागत से काफी कम है। वास्तव में यह ग्लास की लागत से भी काफी कम है।
- viii. रूप में भारी गिरावट के कारण शुल्क को अमेरिकी डॉलर में लागू करना चाहिए। मूल्य ह्रास से कच्ची सामग्रियों की लागत, सुविधाओं और अन्य खर्चों पर प्रभाव पड़ता है। चीन से मेटकोक में सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

### ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

102. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियों की जांच की है, जो दोहराव है, जिनकी इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के संगत ठहराव में पहले ही उचित ढंग से जांच और पर्याप्त समाधान किया गया है।
103. अन्य पक्षकारों अर्थात् एसयूके इंटरनेशनल, किरण इंटरनेशनल, रॉयल इम्पैक्स, आरआर इंडस्ट्रीज और शाइन ग्लास द्वारा जांच के अधीन उत्पाद और उन्हें बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में किए गए अनुरोधों के बारे में ये जांच प्रक्रिया में काफी देरी से प्राप्त हुए हैं। हितबद्ध पक्षकारों को पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति के प्रस्ताव संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। प्राधिकारी को केवल ऑल इंडिया मिरर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमएमए) से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। चूंकि इन देरी से प्रस्तुत अनुरोधों में साक्ष्य और तर्कों का अभाव था। इसलिए इस स्तर पर उन्हें अस्वीकार्य माना गया है। इसके अलावा, वे यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि क्या वे जांचाधीन उत्पाद जिनके लिए अपवर्जन का अनुरोध किया गया था। जांच के अधीन उत्पादों से बिल्कुल अलग थे और उनके अलग प्रयोग थे। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच और सत्यापन किया है और यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" हैं। इसलिए, इस विलंबित चरण में उठाए गए बहिष्करण के अनुरोध को प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

### ठ. निष्कर्ष और सिफारिश

104. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, दी गई साक्ष्यांकित सूचना और रिकार्ड के अनुसार तथा पूर्वोक्त पैराग्राफों में जांचे गए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नलिखित है:
- i. यह जांच संबद्ध वस्तु की उत्पादकों की ओर से एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर शुरू की गई थी।
  - ii. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु एडी नियमावली 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।
  - iii. फ्रेम्ड ग्लास मिरर या सजावटी ग्लास मिरर और सिल्वर द्वारा कोटेड मिरर ग्लास विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

- iv. पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है। विचाराधीन उत्पाद को भारत में ऐसी कीमत पर निर्यात किया गया है जो सामान्य मूल्य से कम, परिणामस्वरूप पाटन हो रहा है।
- v. एडी नियमावली 1995 के पैरा 2(i) के अंतर्गत आकलित किए जाने के यथाअपेक्षित घरेलू उद्योग की स्थिति पर आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में यह पाया गया था कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा आधार वर्ष अर्थात् 2019-20 से 2020-21 में घटी है, परंतु 2021-22 से पीओआई तक उसमें काफी वृद्धि हुई है। उत्पाद की मांग में 2020-21 में मामूली गिरावट आई है, परंतु उसके बाद काफी वृद्धि हुई है।
- vi. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भारी गिरावट आई है। संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- vii. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन को निर्धारित न्यूनतम सीमा जैसी एडी नियमावली 1995 के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अंतर्गत निर्धारित, से काफी अधिक पाया गया था।
- viii. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के स्तर से कम है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है। इसके अलावा, बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि में बिक्री लागत से भी कम रही है। इस प्रकार आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में हास कर रहे थे।
- ix. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाटन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:
- क. आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान उत्पादन, स्थापित क्षमता, बिक्री मात्रा की दृष्टि से घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है।
- ख. पीओआई में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- ग. आवेदक की औसत मालसूची में क्षति अवधि के पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है।
- घ. वेतन और मजदूरी, प्रति दिन उत्पादकता में 2021-22 तक वृद्धि हुई है और पीओआई के दौरान गिरावट आई है। ऐसा घरेलू उद्योग के उत्पादन में भारी गिरावट के कारण हुआ है।
- x. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है। क्षति मार्जिन काफी अधिक है।
- xi. प्राधिकारी ने जांच की कि किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।
- xii. प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को नोट किया है। यह देखा गया है कि अनुसंशित उपायों का प्रभाव पीयूसी की प्रकृति और उसकी खपत पर विचार करते हुए बिल्कुल मामूली होगा। पाटनरोधी शुल्क को लगाने से जनहित पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं संबंधी सकारात्मक जानकारी देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली के

अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद और ऐसी आयातों के कारण सकारात्मक पाटन मार्जिन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति को सिद्ध करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।

106. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

#### शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक/निर्यातक	राशि	माप की यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7009.91.00	अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	कोई	234	एमटी	यूएसडी
2.	7009.91.00	अनफ्रेम्ड ग्लास मिरर*	चीन जन. गण. के इतर कोई भी	चीन जन. गण.	कोई	234	एमटी	यूएसडी

\* फ्रेम्ड ग्लास मिरर या सजावटी ग्लास मिरर और सिल्वर से कोटेड मिरर ग्लास विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

#### ड. आगे की प्रक्रिया

107. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के इस निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 23rd July, 2024

**Case No. OI – 12/2023****Subject: Anti-Dumping Investigation concerning imports of "Unframed Glass Mirror" originating in or exported from China PR.****F. No. 6/12/2023-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. A representation was received from “All India Mirror Manufacturers Association” (hereinafter referred to as “AIMMA” or “Association”), representing the manufacturers of “Unframed Glass Mirror” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration”) before the Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) stating that the industry in India is getting injured in view of increase in dumped imports of the subject goods from China PR (hereinafter referred to as the subject country).
2. The Authority, on the basis of *prima facie* evidence on the record submitted by various domestic producers and their associations, called information from customs authorities.
3. The Authority analysed the trend in imports of the product in the country, both in terms of volume and price, corroborated the same with information contained in various representations and ascertained whether there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being exported from China at a price below estimates of normal value, whether the same is causing injury to the Indian industry and whether an anti-dumping investigation is required to be conducted to ascertain existence, degree and effect of alleged dumping. The Authority also considered the nature of the industry, the degree of dumping, the trend in the volume of imports, the import price from China, prevailing prices of principal raw material (float/sheet glass) and information with regard to the possible impact on the Indian industry on the basis of information contained in the representation and subsequent communications so received. The Authority called for information with regard to the imports of the product under consideration from the customs authorities and adopted the same. The Authority found that there was sufficient *prima facie* evidence regarding dumping, injury, and causal link between such dumped imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation.
4. Having satisfied itself with regard to the existence of sufficient evidence regarding dumping, injury, and causal link between such dumped imports and the alleged injury to the domestic industry to justify the initiation of an investigation, the Authority issued a public notice, vide Notification No. 6/12/2023-DGTR dated 21<sup>st</sup> September 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation on a *suo-moto* basis in accordance with sub-rule 4 of Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

5. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
  - i) The Authority issued a public notice dated 21<sup>st</sup> September 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country in accordance with Rule 5(4) of the Rules.
  - ii) The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, known producers and exporters from the subject country, known importers/users and the user associations

as per the information made available by the association, and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

- iii) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the representation filed by the association to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the representation filed by the association was circulated to the other interested parties.
- iv) The embassy of the subject country in India was also requested to advise the producers/exporters in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- v) The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the anti-dumping investigation to the following known producers/exporters in the subject country, and offered them an opportunity to make their submissions known in accordance with Rule 6(2) of the Rules:

S.N.	Exporters
1.	Dongguang Aimeizhe Glass Products Co Ltd
2.	Ikea Supply Ag
3.	Joseph Joseph Ltd.
4.	M/S.Villeroy & Boch Ag
5.	Qingdao Aagya Industry Co., Ltd
6.	Qingdao Regenco Industry Co., Llttd
7.	Qingdao Reliance Industry Co., Ltd
8.	Qingdao Simpassic Import And Export Co Ltd
9.	Qinhuang Dao Green Star Mirror Co Ltd
10.	Shahe City Luck Glass Technology
11.	Shandong Harvest Glass Co., Ltd
12.	Shandong Toou Trading Co. Ltd.
13.	Shouguang Yaobang Imp And Exp Industry Co.,Ltd
14.	Tengzhou Jingcheng Mirror Co. Ltd
15.	Tengzhou Kunyue Industry Group Co., Ltd
16.	Tianjin Sunrise Industrial Co., Ltd
17.	Xingtai Gudeman Import Export Tra
18.	Yohayo Industry Limited
19.	Zhejiang Li Heng International Trade Co Limited

- vi) No exporter has participated and filed questionnaire responses in the present investigation.
- vii) The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

SN	Importers/Users
1.	A. H. Glass
2.	And More Stories
3.	Atco Interiors Private Limited
4.	Atlas Glass Traders
5.	Darshan Mirror
6.	Design Decode
7.	Edge To Edge
8.	Enginetech Systems Private Limited
9.	Enviro Safety Glass
10.	Float Glass Centre
11.	FMB Trading
12.	H S Trading
13.	Ikea India Private Limited
14.	JK Global Ventures

15.	K D Impex
16.	Kritarth Impex
17.	Levante
18.	N.M.Stones Private Limited
19.	Om Beauty Collection
20.	P C Sampath and Co
21.	Pacoline Industries Private Limited
22.	Qaas Trading Co.
23.	R K Glass Centre
24.	R R Industries
25.	Seeba Industries Private Limited
26.	Sew Surface Coating P. Ltd.
27.	Shree Dariyav Sales
28.	Shreenathji Trade
29.	Swayambhu Enterprises
30.	Unique Traders
31.	Uttam Art-N-Glass Works

- viii) No importer/user has participated and filed questionnaire responses in the present investigation.
- ix) The Authority issued an economic interest questionnaire to the embassy of the subject country, all the known exporters, importers, the administrative line Ministry and the domestic industry. Barring the domestic industry, none of the parties has submitted this questionnaire in the present investigation.
- x) Following interested parties have made comments post-issuance of the Disclosure statement:
- a. SUK International
  - b. Kiran International
  - c. Royal Impaxe
  - d. RR Industries
  - e. Shine Glass

These parties have not registered themselves as interested parties and the submissions made by them are belated at this stage. It has not been shown how these parties are interested parties. Notwithstanding, these parties were provided several opportunities to register themselves and to provide response and concerns which these parties did not avail. Thus, these parties are not being considered as interested parties to the subject investigation.

- xi) The period of investigation (POI) for the present investigation is from April 2022 - March 2023 (12 months). The injury investigation period for the present investigation is 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the POI.
- xii) The representations were made based on the DGCI&S published import data for the period 2019-20 to 2022-23. A request was made by the Authority to the DG System to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation, which was received by the Authority and the same has been considered for the purpose of initiation and the present investigation.
- xiii) In view of the nature of the present industry, the Authority selected the following companies to provide information for the determination of Non-Injurious Price (NIP) in accordance with Annexure-III.
- a. Gold Plus Glass Industry Ltd.
  - b. Kalkaji Glasses Pvt. Ltd.
  - c. Emerge Glass India Pvt. Ltd
  - d. BM Glasstech
- xiv) The Authority sought further information from the domestic industry to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the domestic industry in its analysis in the present case.
- xv) The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various

- interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xvi) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 9th February 2024. The parties presented their views in the oral hearing and were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- xvii) The submissions made by the interested parties, arguments raised and the information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same were supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.
- xviii) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and has conducted the examination on the basis of facts available.
- xix) The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing the information on a confidential basis were directed to provide an adequate summary of the confidential version in a non-confidential version.
- xx) A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 30.05.2024 and the interested parties were allowed time up to 06.06.2024 to comment on the same. The comments on disclosure statements received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- xxi) “\*\*\*\*” in these final findings, represents information furnished by interested parties on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1= INR 81.06.
- xxiii) The following abbreviations have been used in this document:

SN	Abbreviations	Full description
a.	DI	Domestic industry
b.	MOF	Ministry of Finance
c.	PUC	Product under consideration
d.	Act	Customs Tariff Act, 1975
e.	Rules	Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995
f.	Other interested parties	Interested parties participating in the present investigation and opposing imposition of anti-dumping duty
g.	EIQ	Economic Interest Questionnaire
h.	EQR	Exporter's questionnaire response
i.	AIMMA	All India Mirror Manufacturers Association
j.	MSME	Micro, Small and Medium Enterprise

**C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE****C. 1. Views of the other interested parties**

6. No submission has been made by other interested parties with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and like article.

**C. 2. Views of the domestic industry**

7. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article:

- i) The product under consideration in the present investigation is “Unframed Glass Mirror”.
- ii) The subject goods are transacted in various names and the illustrative list of names is as follows:
  - sheet glass mirror
  - painted mirror glass
  - aluminium mirror glass
  - sheet mirror
  - mirror glass
- iii) Unframed glass mirrors have reflective surfaces on one side and are painted on the opposite side. It is produced in plates, and, depending on the location and operators, it is cut in smaller sizes by milling, beveling, grooving and various printing methods to be made ready for end use.
- iv) The goods are classified under Chapter 70 under the 8-digit code 70099100.
- v) Unframed glass mirrors can be produced either with float glass or sheet glass. There are no material composition differences between unframed glass mirrors made with float glass and sheet glass and the two raw materials can be used alternatively in the manufacturing process of glass mirrors.
- vi) The main raw materials used for the manufacturing of the domestic product are similar to the ones used for the subject goods from China, which are either float glass or sheet glass. The other raw materials used in the manufacturing of the product are aluminium, tungsten, base coat paint and topcoat paint. These are common in the production of all unframed glass mirrors.
- vii) The production process used in producing mirrors begins with cleaning the glass by washing the top surface. This glass is then coated with a blast of aluminium in a vacuum room at -2 degrees to ensure there is no oxygen and nitrogen as dust will make the aluminium black. The aluminium is heated at 400 degrees on tungsten and the vapour is kept close to the glass which is then stuck on the glass. This aluminium is then coated with base coat paint. Xylene and Toluene are mixed with the paint for thinning the paint. After the base coat paint is dried, the topcoat paint is applied, which finally leads to the baking of the final layer. The process is highly automated.
- viii) Framed glass mirrors or decorative glass mirrors are excluded from the scope of the product under consideration. Framed glass mirrors are glass mirrors with a frame fitted around it. They fall under a distinctively separate HS Code 7009 92 00 as against unframed glass mirror, which falls under HS Code 70099100. These glass mirrors have frames made with wood, metal, or plastic and are plain, textured or decorative in nature. Decorative glass mirrors are framed glass mirrors with artistic frames for wall hangings and display.
- ix) The glass mirror can also be coated with a blast of silver. However, mirror glass coated by silver is specifically excluded from the scope of the product under consideration. Glass mirrors coated by silver are required to conform to BIS standard 3438: 2023. Glass mirrors coated by silver should be exempted only if the same conforms to BIS standard 3438: 2023.
- x) There is no difference in the technology adopted by the producers in India and that adopted by the producers in the subject country. The technology adopted by the domestic industry is comparable with the technology adopted by the producers of the subject goods in the subject country. However, every producer fine-tunes its production process based on necessities and available facilities.
- xi) The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are



comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country.

### C. 3. Examination by the Authority

8. The product under consideration (hereinafter also referred to as the “PUC”) as defined at the stage of initiation was as follows:

*“3. The product under consideration in the present investigation is “unframed glass mirror”. The glass mirror has a protected back surface. They have reflective surfaces on one side and are painted on the opposite side. It is produced in plates and, depending on the location and operators, it is cut in smaller sizes by milling, bevelling, grooving and various printing methods to be made ready for end use.*

*4. The main raw materials used for the manufacturing of the domestic product are similar to the ones used for the subject goods from China, being float glass, aluminium, tungsten, base coat paint and topcoat paint. This product is mainly used in architecture and furniture manufacturing. It is used as a decorative and functional material for the decoration of interiors in the construction business.*

*5. While the product may occur in different thicknesses, 90% of the products occur at 3mm. There is no difference in the manufacturing process and composition of different thicknesses of the product. The thickness is based on the uses of the product. The change in the product size does not materially alter the unit cost of production and selling price (on a weight basis).*

*6. The product is classified under Chapter 70 of the Customs Tariff Act under subheading 7009 and under the 8-digit code 7009 91 00. The customs classification is only indicative, and not binding on the scope of this investigation.”*

9. The Authority provided an opportunity to the interested parties to offer comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology. The Authority received comments only from the association.
10. Based on the comments received, the Authority defined the PUC vide Notice dated 12th December, 2023 published on the DGTR website as follows:

*“The product under consideration in the present investigation is “unframed glass mirror”. The product is also globally known by other names like “Sheet Glass Mirror”, “Float Glass Mirror”, “Painted Mirror Glass”, “Aluminium Mirror Glass”, “Sheet Mirror”, “Mirror Glass”, etc. The glass mirror has a protected back surface. They have reflective surfaces on one side and are painted on the opposite side. It is produced in plates and, depending on the location and operators, it is cut in smaller sizes by milling, bevelling, grooving and various printing methods to be made ready for end use.*

*The main raw materials used for the manufacturing of the domestic product are similar to the ones used for the subject goods from China, which are either float glass or sheet glass. The other raw materials are aluminium, tungsten, base coat paint and topcoat paint. These are common in the production of all unframed glass mirrors. Framed glass mirrors or decorative glass mirrors and mirror glass coated by silver are specifically excluded from the scope of the product under consideration.*

*The product is mainly used in architecture and furniture manufacturing. It is used as a decorative and functional material for the decoration of interiors in the construction business.*

*While the product may occur in different thicknesses, 90% of the products occur at 3mm. There is no difference in the manufacturing process and composition of different thicknesses of the product. The thickness is based on the uses of the product. The change in the product size does not materially alter the unit cost of production and selling price (on a weight basis).*

*The product is classified under Chapter 70 of the Customs Tariff Act under subheading 7009 and under the 8-digit code 7009 91 00. The customs classification is only indicative, and not binding on the scope of this investigation.”*

11. The Authority notes that unframed glass mirrors are mirrors made of float glass or sheet glass. The glass is first produced as an unframed glass mirror. Unframed Glass Mirror is later cut as per customised requirements. It can be used without framing, or it can be framed and used.
12. Framed glass mirrors or decorative glass mirrors are specifically excluded from the scope of the product under consideration. Framed glass mirrors are glass mirrors in ready-to-use shape & size, and are fitted with a permanent frame around them. They fall under a distinctively separate HS Code 7009 92 00 as against unframed glass mirrors. These glass mirrors have frames made of wood, metal, or plastic. These are plain, textured or decorative in nature. Decorative glass mirrors are framed glass mirrors with artistic frames for wall hangings and displays to enhance the aesthetic look. Framed glass mirrors are transacted in final shape and are not cut into small sizes, framed again and sold in the market.
13. Unframed Glass Mirror comes in a full sheet of standard sizes. The standard sizes typically are given below. However, these are merely illustrative and not binding on the scope of the product under consideration:
  - a. 1220x1830mm
  - b. 1220x2440mm
  - c. 1070x1830mm
  - d. 1830x2440mm
14. The Authority also specifically excludes mirror glass coated with silver from the scope of the product under consideration. There is a significant difference in the cost and price of the products coated with aluminium from those coated with silver. The domestic industry has specifically consented to the exclusion of the product coated with silver.
15. Unframed Glass Mirrors can be produced either with float glass or sheet glass. There are no material composition differences between unframed glass mirrors made with float glass and sheet glass and the two raw materials can be used alternatively in the manufacturing process of glass mirrors. There are no material differences in the cost of production of the unframed glass mirror produced by float glass or sheet glass.
16. The Authority vide Notification dated 12th December, 2023 notified the interested parties that there is no PCN required in the subject investigation.
17. The Authority defines the scope of the PUC as given below-

*“The product under consideration in the present investigation is “**unframed glass mirror**” and is globally known by other names like “Sheet Glass Mirror”, “Float Glass Mirror”, “Painted Mirror Glass”, “Aluminium Mirror Glass”, “Sheet Mirror”, “Mirror Glass”, etc. The unframed glass mirror has a protected back surface with reflective surfaces on one side. These are painted on the opposite side. Framed glass mirrors or decorative glass mirrors and mirror glass coated by silver are specifically excluded from the scope of the product under consideration.”*

18. The Authority notes that the goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.

**D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING****D. 1. Views of the other interested parties**

19. No submission has been made by other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing.

**D. 2. Views of the domestic industry**

20. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and standing:

- i) The association filed representation on behalf of its members and producers of the Indian industry. 18 representations were filed on behalf of 17 producers seeking antidumping duty.
- ii) The unframed glass mirror industry in India is highly fragmented and consists of a large number of domestic producers. There are around 27 manufacturers in India, 23 belonging to the MSME category and 4 large companies.
- iii) The representation filed by the association mentioned 25 producers and the names of producers namely, Saint-Gobain India Pvt. Ltd. and Asahi India Glass Ltd should be excluded as these companies produce only silver-coated unframed glass mirrors. These producers have however registered themselves as interested party and thus have been included in the list of Indian producers. Thus, the Indian industry comprises of 27 domestic producers of the product.
- iv) The association provided the statement of Indian production to the extent the data was available. The production data given was in respect of both member and non-member companies of the association. Since the association was recently registered, all producers of the product had not become members of the association at that stage. The association has provided information in respect of both members and non-members with an understanding that there is no legal bar on the association to provide information in respect of non-members. These companies collectively command more than 50% of eligible domestic production.
- v) The association also filed post-initiation submissions on behalf of the members of the association and the other producers in India. The following companies filed injury information along with the post-initiation submissions.
  1. Able Glass Instruments
  2. Antique Glass
  3. BM GlassTech
  4. Emerge Glass
  5. Kalkaji Glass
  6. Manhar glass
  7. Gold Plus
- vi) The Authority selected the following companies for costing information. These companies provided costing information.
  - a. Gold Plus Glass Industry Ltd.
  - b. Kalkaji Glasses Pvt. Ltd.
  - c. Emerge Glass India Pvt. Ltd
  - d. BM Glasstech

**D. 3. Examination by the Authority**

21. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

*"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article*

*constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case [such producers may be deemed] not to form part of domestic industry."*

22. The present investigation has been initiated *suo moto* pursuant to the representation filed by the AIMMA on behalf of the producers of the product under consideration. The Authority received representation from the following companies who sought initiation of the investigation.

1. Able Glass India Pvt Ltd
2. Able Glass Instruments
3. Accurate Mirror
4. Arun Glass Works
5. Antique Glass Industries
6. BM Glass Tech
7. C.S. Mirror
8. Emerge Glass
9. Ganesh Process
10. Glassic Mirrors Industries
11. Jay Shivansh Mirror Pvt. Ltd.
12. Kalkaji Glass Pvt. Ltd.
13. Manhar Glass
14. Saikiran Glass Industries Pvt. Ltd.
15. Shreeji Industries
16. Shrichakra Laminates
17. Sri Mookambika Mirror Works

23. The Authority notes that the Indian industry comprises 25 domestic producers of the product under consideration. There are 23 producers belonging to the MSME category and 2 large companies.

24. Companies who are members of the association and have filed representations, prior to or post-initiation, are listed below:

**MSME Companies:**

1. Able Glass Instruments
2. Antique Glass Industries
3. BM Glass Tech
4. Jay Shivansh Mirror Pvt. Ltd.
5. Kalkaji Glass Pvt. Ltd.
6. Manhar Glass
7. Shreeji Industries
8. Srichakra Laminates
9. Saikiran Glass Industries Pvt. Ltd.
10. Glassic Mirror Industries
11. Able Glass India Pvt. Ltd.
12. Arun Glasswork
13. Sri Mookambika Mirror Works

**Large Companies:**

14. Emerge Glass
15. Gold Plus

25. Companies who are not members of the association but have filed representations, prior to or post-initiation are as follows:

**MSME Companies**

1. Ganesh Process
2. Accurate Mirror
3. C.S. Mirror

26. Companies who are not members of the association and have not filed representations in this investigation are as follows:

**MSME Companies**

1. Bangalore Hardware
2. Gurunanak Mirror Industries
3. Eagletuff Glass Pvt Ltd
4. G.D. Mirror Industry
5. Maa Bhagwati Glass
6. Philips Mirror
7. Precious Industries

vii) The representation filed by the association mentioned that Saint-Gobain India Pvt. Ltd. and Asahi India Glass Ltd should not be considered as the domestic producers of the subject goods as these companies produce only silver-coated unframed glass mirrors. These producers had registered themselves as interested parties. However, these producers did not file the required information before the Authority. Based on the information available, the Authority considers that Saint-Gobain India Pvt. Ltd. and Asahi India Glass Ltd do not produce aluminium-coated mirror glass i.e., the PUC and therefore are not the producers of the PUC.

27. Post initiation, following companies filed injury information along with the post-initiation submissions.

1. Able Glass Instruments
2. Antique Glass
3. BM GlassTech
4. Emerge Glass
5. Kalkaji Glass
6. Manhar Glass
7. Gold Plus

28. The Authority notes that the Indian producers of the subject goods predominantly belong to the MSME category which is fragmented and unorganized. Due to the large number of producers, the Authority decided to undertake a sampling of domestic producers for the purpose of determination of injury margin. Based on the information received, the Authority sampled the following companies for seeking costing information.

1. BM GlassTech
2. Emerge Glass
3. Kalkaji Glass
4. Gold Plus

29. The Authority received the costing and injury information from the aforementioned sampled companies.

30. In view of the above, the Authority considers Able Glass Instruments, Antique Glass, BM GlassTech, Emerge Glass, Kalkaji Glass, Manhar Glass and Gold Plus as the domestic industry for the purpose of injury determination. The production by these producers constitutes 88% of total Indian production. Further, none of these producers have imported the subject goods from the subject country nor are they related to any of the importers or exporters of the subject goods. Thus, the Authority holds that these producers constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and also satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

**E. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN****E. 1. Views of the other interested parties**

31. No submission has been made by other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin.

**E. 2. Views of the domestic industry**

32. The submissions of the domestic industry with regard to the normal value, the export price and the dumping margin, are as follows:

- i) China should be considered as a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by the investigation authorities in other countries. Chinese producers' costs and prices cannot be relied upon for the determination of normal value.
- ii) The Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for the determination of normal value only if the Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
- iii) Paragraphs 1 to 6 of Annexure I of the Rules do not apply to the computation of normal value for imports from China PR unless a producer/exporter shows sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, the normal value for China PR has to be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.
- iv) Relevant data was not available for the price in a market economy third country and constructed value in a market economy third country. The price from a third country to other countries, including India could also not be considered as the subject goods are majorly being imported into India from China PR and imports from other countries are very low in volume.
- v) Thus, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production in India, after the addition for selling, general & administrative expenses. Adjustments were made to this price to include conversion costs based on the domestic industry's information, a reasonable profit margin and SGA.
- vi) Export price must be determined considering the volume and value of imports for the period of investigation adopted from the published DG System data after due adjustments are made to determine the ex-factory price.
- vii) The dumping margin is not only above the *de minimis* levels, but also significant for the subject country.

**E. 3. Examination by the Authority****E. 3. 1. Determination of Normal Value**

33. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along With reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

34. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology, that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

- (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (iii) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (iv) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (v) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. "*

35. It is noted that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016. However, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with an obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol

require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of India's AD Rules to be satisfied through the information/ data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status.

36. At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information made available by some of the domestic producers on the cost of production of the subject goods with due addition of SGA and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of the initiation and provide information relevant to the determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting the presumption of a non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested the Government of China PR to advise the producers// exporters in China PR to provide the relevant information.
37. None of the exporters/producers contested the NME status of China. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proceeds with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR
38. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

*In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

39. Para 7 lays down a hierarchy for the determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7. There is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Apart from the subject country in the present investigation, imports into India from other countries are low in volume. Thus, imports into India from the market economy third country could not be considered for determination of normal value.
40. Therefore, the Authority has determined the normal value for the subject imports in China as “price actually payable in India” as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

### **E. 3. 2. Determination of Export Price**

41. The Authority notes that none of the producers/exporters from China have participated in the present investigation or filed a questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the PUC in



China, the Authority is constrained to proceed on facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules, 1995 with regard to the determination of export price for all non-cooperative producers/exporters from China.

42. The Authority has determined the export price on the basis of volume and value of imports as per transaction-wise DG System data. Price adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission, and bank charges, on the basis of facts available, in view of non-cooperation. The export price so determined is stated in the table below.

### E. 3.3. Determination of Dumping margin

43. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined as follows:

SN	Producers	Normal Value	Export Price	Dumping margin		
		(US\$/MT)	(US\$/MT)	(US\$/MT)	%	(Range) (%)
1	All producers/exporters from China PR	***	***	***	***	125-135

## F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

44. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

### F. 1. Views of the other interested parties

45. No submission has been made by other interested parties with regard to injury and causal link.

### F. 2. Views of the domestic industry

46. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- The Indian industry falls in the MSME sector, which is extremely fragmented, and unorganized, making it vulnerable. The manufacturers in India are mostly owner-driven, lacking technical expertise, and infrastructure which run their establishments with a limited number of employees who handle multiple jobs in these companies.
  - The industry is severely injured by the dumped imports from China.
  - The demand for this product in the Indian market had declined marginally in 2020-2021 owing to COVID

but increased significantly since then.

- iv) Volume of subject imports from China PR decreased from the base year i.e., 2019–20 to 2020–21. However, imports increased significantly from 2021–22 up to the POI.
- v) Imports from China in relation to Indian production and consumption have also increased significantly over the injury period and is significantly high.
- vi) The landed price of imports from China PR has been significantly below the selling price of the Indian industry throughout the injury period. The level of price undercutting is alarming.
- vii) The cost of production and selling price have increased over the injury period. However, the selling price has remained below the level of costs of production. The landed price of imports has remained below the level of cost of production and selling price of the domestic industry. Imports are causing price suppression in the Indian market.
- viii) The domestic industry has not enhanced its capacity.
- ix) With the increase in demand, production and sales of the domestic industry increased till 2021-22. However, despite further increases in demand, production and domestic sales of the domestic industry declined significantly in the POI.
- x) The industry is operating at extremely low utilisation levels, which is especially concerning for MSME companies.
- xi) The domestic industry has provided evidence of electricity bills, sales ledgers, bank loans and production statements indicating a decline in capacity utilization, production and sales.
- xii) Despite the increase in demand, the market share of the domestic industry has declined significantly in the POI.
- xiii) The profitability, cash profits and ROI of the domestic industry improved till 2021-22 and declined significantly thereafter in the POI. So significant is the dumping of the product that the sale of glass is more profitable than the production and sale of glass mirrors.
- xiv) The number of employees has remained more or less consistent over the injury period. The salary wages and productivity per day increased till 2021-22 and declined during POI.
- xv) Growth of the domestic industry in terms of volume parameters and price parameters are negative in the POI.
- xvi) The dumping margin from the subject country is not only more than *de-minimis* but also substantial.
- xvii) At least 11 companies have been forced to shut down their production in the most recent period.
- xviii) The demand has increased. A possible contraction in demand is not a cause of injury to the domestic industry.
- xix) The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.
- xx) The information provided by producers does not include information on export sales. Thus, it indicates that the focus of the industry is on the domestic market and thus the export performance of the domestic industry, therefore, is not a possible cause of injury to the domestic industry.
- xxi) The technology as well as the production process for producing the product under consideration has not undergone any significant development in this period. Developments in technology could not have been the cause of injury to the domestic industry.
- xxii) There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- xxiii) There is no known material constraint (related to raw materials shortage, power shortage, the impact of any tax differential, lack of adequate capacity or investment constraints, etc. in relation to the production or sales of the subject goods) faced by the domestic industry during the current period.

### F. 3. Examination by the Authority

47. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on

prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

### F. 3. 1. Assessment of Demand/Apparent Consumption

48. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other producers and imports from various sources as per transaction-wise DG Systems data. The same is given in the following table:

Demand	Units	2019- 20	2020-21	2021-22	POI
Sales of DI	MT	17,662	17,662	17,662	17,662
Trend	Indexed	100	133	160	99
Sales of Other producers	MT	4,131	2,761	3,480	2,477
Trend	Indexed	100	67	84	60
Imports from China	MT	48,852	36,285	47,550	66,000
Trend	Indexed	100	74	97	135
Imports from Other countries	MT	211	303	1465	1621
Trend	Indexed	100	144	695	769
Demand/Consumption	MT	70,859	70,859	70,859	70,859
Trend	Indexed	100	89	114	123

49. It is seen that the demand had declined marginally in 2020-21 owing to COVID but increased significantly since then. The overall demand for the product has increased in the POI as compared to the base year.

### F. 3. 2. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

#### a. Imports in absolute and relative terms

50. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes of the subject goods from the subject country and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
<b>Import Volume</b>					
China	MT	48,852	36,285	47,550	66,000
Other countries	MT	211	303	1465	1621
<b>Total Imports</b>	<b>MT</b>	49,063	36,588	49,015	67,621
Sale of Domestic Industry	MT	17,662	23,463	28,268	17,412
Trend	Indexed	100	133	160	99
Sale of Other producers	MT	4,131	2,761	3,480	2,477
Trend	Indexed	100	67	84	60
<b>Demand/Consumption</b>	<b>MT</b>	70,859	62,812	80,763	87,510
Trend	Indexed	100	89	114	123

Production (DI)	MT	16,872	23,501	28,578	17,694
Trend	Indexed	100	139	169	105
Production (others)	MT	4131	2761	3480	2477
Trend	Indexed	100	67	84	60
<b>Total Indian Production</b>	MT	21,003	26,262	32,058	20,171
Trend	Indexed	100	125	153	96
<b>Subject imports in relation to</b>					
Total imports	%	100%	99%	97%	98%
Indian production	%	233%	138%	153%	335%
Indian demand	%	69%	58%	59%	75%

51. It is seen that:

- a. Volume of subject imports from China declined in 2020-21 and then increased in 2021-2022. It was the highest in the POI. The imports from the subject country have increased significantly over the injury period, with the import volume being almost 1.38 times in the POI as compared to the preceding year.
- b. Imports have increased by almost 35% in the POI from the base year.
- c. Almost 98% of imports into India are from China.
- d. Imports from China in relation to Indian production and consumption have also increased significantly over the injury period and are significantly high. Imports constitute a majority share of the market despite Indian capacity being sufficient to take care of the entire Indian demand.

### F. 3. 3. Price Effect of Dumped Imports

52. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

53. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject country.

#### a. Price undercutting

54. To determine the price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory levels, after reducing the selling price for all post-ex-factory expenses.

Particulars	Unit	2019- 20	2020-21	2021-22	POI
Landed Value of Import	Rs/MT	23,086	20,847	24,669	23,858
Trend	Indexed	100	90	107	103
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	139	153
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	143	198	245
Price Undercutting	%	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	158	186	237
Price Undercutting	Range	50-60	80-90	95-105	120-130

55. It is seen that the landed price of imports is materially below the selling price of the domestic industry. The imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market.

**b. Price Suppression or Depression**

56. For the purpose of analysing price suppression and depression in the domestic market, the Authority has considered information on (a) unit cost of sales, (b) domestic selling price and (c) landed price of imports as shown in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	112	136
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	139	153
Landed price of imports	₹/MT	23,086	20,847	24,669	23,858
Trend	Indexed	100	90	107	103

57. The cost of sales and selling price decreased up to 2020-21 and then increased till POI. Further, the domestic industry has increased selling prices more than the increase in cost of sales. However, the increase in the selling price was less than the increase in the cost of sales in the POI. Whereas the cost of sales increased by Rs. \*\*\*/MT, the selling price increased by Rs. \*\*\* as compared to the previous year. This was also the period when the imports increased significantly from China.

58. It is further seen that the landed price of imports is much below the cost and selling price of the domestic industry. Further, even when the cost of sales has increased significantly over the injury period, the landed price of imports has remained almost at the same level. Between 2021-22 and POI, whereas the cost of sales of the domestic industry increased by Rs. \*\*\*/MT, the landed price of imports in fact declined.

**F. 3. 4. Economic parameters of the domestic industry**

59. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

**a. Capacity, production, capacity utilization and sales**

60. The performance of the domestic industry with regards to capacity, production, capacity utilization and sales is as follows:

Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity	MT	71,990	71,990	71,990	71,837
Index	Trend	100	100	100	99.78
Production	MT	16,872	23,501	28,578	17,694
Index	Trend	100	139	169	105
Capacity Utilization	%	23	33	40	25

Index	Trend	100	139	169	105
Domestic Sales	MT	17,662	23,463	28,268	17,412
Index	Trend	100	133	160	99

61. It is seen that:

- a. The capacity of the domestic industry has remained constant over the injury period.
- b. The domestic industry's production increased till 2021-22. However, production declined significantly in the POI, with the surge in imports in this period.
- c. The capacity utilization of the domestic industry increased from the base year to 2021-22 but declined significantly in the POI. The capacity utilization has remained low throughout the injury period.
- d. Sales of the domestic industry increased till 2021-22. Sales however declined significantly in the POI due to surge in imports in this period. Whereas the imports increased by 39% in POI as compared to the preceding year, the domestic industry lost sales by 38% during this period.
- e. The domestic industry has established capacity considering the demand in the country. However, despite a significant increase in demand in the POI, the production and sales of the Indian industry have declined significantly.

**b. Suspension of Production by Some Domestic Producers**

62. The authority takes note of the submissions of the association that some of the domestic producers have suspended their production due to the dumping of the PUC from the subject country. The list of producers who have suspended their production is as follows:

- i. Jay Shivansh Mirror Pvt. Ltd.
- ii. Arun Glass Works
- iii. Ganesh Process
- iv. Accurate Mirror
- v. C.S. Mirror
- vi. Gurunanak Mirror Industries
- vii. Eagletuff Glass Pvt Ltd
- viii. Maa Bhagwati Glass
- ix. Sri Mookambika Mirror Works
- x. Philips Mirror
- xi. G.D. Mirror Industry

**c. Market Share in Demand**

63. The market share of the domestic industry and imports over the injury period is shown in the table below.

Particulars	Units	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Subject Country	%	69%	58%	59%	75%
Other Countries	%	0%	0%	2%	2%
Domestic Industry	%	25%	37%	35%	20%
Other Indian Producers	%	6%	4%	4%	3%

64. It is seen that:

- a. The market share of the domestic industry increased till 2021-22, but declined significantly thereafter in the POI.
- b. The market share of the subject imports marginally declined in 2021-22, but increased significantly in the POI.
- c. Majority of the market is held by the subject imports and the capacity of the Indian industry is lying unutilised. Thus, imports have taken away the market of the Indian industry.

**d. Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed**

65. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT) and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
PBIT	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	Index	100	215	393	284
PBIT	₹/laks	***	***	***	***
Trend	Index	100	285	630	280
Cash Profit	₹/Mt	***	***	***	***
Trend	Index	100	266	536	406
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	353	859	401
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	254	670	383

66. It is seen that:

- The domestic industry started earning profits in 2020-21 which increased further in 2021-22 due to a decline in imports. The domestic industry saw a decline in profits in the POI.
- Cash profits and ROI of the domestic industry also followed the same trend and improved till 2021-22 and declined significantly thereafter in the POI with an increase in dumped imports.

67. The domestic industry has submitted that two of the domestic producers, namely Gold Plus and Emerge Glass have their own glass plants. While one of them (Gold Plus) is a producer of float class, the other (Emerge Glass) is a producer of sheet glass. The domestic industry submitted that since these companies are backward integrated, the DGTR should either consider their raw material at market price, as held by the Supreme Court in the matter of Reliance Industries Ltd. vs. DA, or, in the alternative, the DA should consider that the performance of these companies is impacted by backward integration and is not representative of those who are dependent on the purchased glass. It is seen that there are 25 producers of the PUC in the country. Only two of them are backward integrated. Out of these two, one has reported financial losses in POI even when the glass has been considered at cost of production, while the other has reported profit, but a significant decline in profits in the POI as compared to previous years. The other producers constituting domestic industry have reported negative or meagre returns in the POI.

**e. Inventory**

68. The data relating to the inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Opening Inventory	MT	1,371	580	565	823
Trend	Indexed	100	42	41	60
Closing Inventory	MT	580	565	823	1,136
Trend	Indexed	100	97	142	196
Average Inventory	MT	975	573	694	980
Trend	Indexed	100	59	71	100
Number of days production in closing stock	Days	12	8	10	22

69. It is seen that the average level of inventories within the domestic industry has remained at a similar level over the injury period. However, the number of days of production in stock at the end of the year increased significantly in the POI.

**f. Employment, Wages and Productivity**

70. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
No of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	101	107
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	122	95
Productivity Per day	MT/Day	47	65	79	49
Trend	Indexed	100	139	169	105

71. The Authority notes that the number of employees has increased over the injury period. The salary and wages increased till 2021-22 and declined thereafter in the POI. Further, productivity per day increased till 2021-22 and declined during POI following the movement of production.

**g. Factors affecting prices**

72. Consideration of the prices of subject imports, changes in the cost structure, competition in the domestic market, and factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported the subject goods was below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. There is no viable substitute for this product. Demand for the subject goods has shown an increase, and this could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the domestic industry prices are impacted by the landed price of the subject goods.

**h. Growth**

73. The table below shows the growth of the domestic industry with respect to various parameters.

Growth	Unit	2020-21	2021-22	POI
Production	MT	39%	22%	-38%
Sales (Domestic)	MT	33%	20%	-38%
Average inventory	MT	-41%	21%	41%
PBIT	Rs Lacs	185%	121%	-55%
Cash Profit	Rs Lacs	253%	143%	-53%
ROI	%	154%	164%	-43%

**i. Ability to raise capital investments**

74. The profitability of the domestic industry has declined in the POI and thus its ability to raise investment has been adversely affected on account of dumping.

**j. Magnitude of dumping Margin**

75. It is seen that the dumping margin from the subject country is not only more than *de-minimis* but also substantial. The impact of dumping on the domestic industry is significant.

**G. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK**

76. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows material injury to the domestic industry. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- Imports of the subject goods from the subject country have increased significantly over the injury period, with the import volume being almost 1.38 times in the POI as compared to the preceding year. It has also remained significant in relative terms.



- b. Landed price is below the level of selling price and also below the cost of sales in the POI leading to price suppression in the market.
  - c. Imports are increasing and the capacity utilisation of the domestic industry is only in the range of 20-30%. Thus, the capacities are grossly underutilised in view of imports.
  - d. Market share of dumped imports in total demand in India remained at about 79% whereas Indian industry holds only around 19% of the market share.
  - e. The domestic industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand. The domestic industry has significant unutilised capacity in the POI even though the demand has increased.
  - f. The domestic industry's profitability and return on capital employed are also adversely affected. The profits of the domestic industry are drastically affected.
77. The above analysis indicates that the domestic industry is suffering material injury due to increased dumped imports of PUC into India from the subject country. There exists a strong causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and the material injury suffered by the domestic industry.

#### H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

78. As per the Rules, the Authority, *inter-alia*, is required to examine any known factors other than dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, *inter-alia*, the volume and prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology, export performance and productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury.

##### a. Volume and price of imports from third countries

79. The Authority notes that the imports from non-subject sources were not significant.

##### b. Contraction of demand

80. It is seen that the demand for the subject goods increased over the injury period.

##### c. Changes in the pattern of consumption

81. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

##### d. Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

82. The imports of the subject goods are not restricted in any manner and are freely importable in the country.

##### e. Developments in technology

83. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the product under consideration.

##### f. Export performance

84. The information provided has been considered only for domestic operations of the domestic industry.

#### I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

85. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The NIP has been compared with the landed price of the subject goods from the subject country for calculating the injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed

(i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.

86. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

SN	Producers/Countries	NIP	Landed price	Injury margin		
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	%	(Range %)
1	All producers and exporters from China	***	***	***	***	70-80

## J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

### J. 1. Views of the other interested parties

87. No submission has been made by other interested parties with regard to Indian industry's interest and other issues.

### J. 2. Views of the domestic industry

88. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. The product is used in the furniture industry and as an end product by the public at large. They are used in the furniture industry for furniture such as an almirah and a dressing table. They are also used as finished goods and are purchased by consumers who fall under all income groups.
- ii. The impact of the anti-dumping duty on the end users is extremely minimal at 0.003%.
- iii. The domestic industry belongs to the MSME sector and has been suffering due to the unfair imports from the subject country. The entire Indian industry producing the subject goods is extremely fragmented and unorganized.
- iv. The demand is likely to increase further due to the growing consumption of the subject goods by consumers in various sectors of society. If duties are imposed, an increase in demand can have a significant positive impact on the Indian economy.
- v. The imposition of anti-dumping duty is to ensure that the imports enter the country at a fair price. There is no monopolist situation for the domestic industry.
- vi. The domestic industry is suffering from significant price undercutting by imports, forcing it to sell at a loss. The imposition of duties will allow the domestic industry to compete with the imports on fair terms and price its products profitably.
- vii. The exporters/producers from China PR have been reluctant to participate in the present investigation. There is a high possibility that disclosure of such information would show a significant dumping margin for them.

### J. 3. Examination by the Authority

89. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. A questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry and the users/ consumers to provide relevant information with regard to the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations. However, it is noted that none of the interested parties other than the domestic industry has submitted comments or submissions with respect to the same.

90. The Indian producers of the subject goods predominantly belong to the MSME category which is fragmented and unorganized. It is essential that the MSME industries maintain a certain level of profitability to keep their infrastructure functional. The imposition of duties would help in improving their performance, in terms of sales and price parameters. The duties would also help in maintaining a competitive domestic industry supplying the product to the customers in the presence of fair-priced imports.
91. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty is to remedy the situation of dumping causing injury to the Indian industry and establish a fair level playing field for the domestic industry. The Rules provide that the amount of duty levied is restricted to what is necessary to redress the injury to the domestic industry and prevent the impact of unfair imports on the performance of the domestic industry. The application of the lesser duty rule thus ensures that the remedy to the Indian industry is limited.
92. The Authority notes that the product under consideration is an end-use product used by the public at large for their daily use/need. It is used by the furniture industry for furniture such as an almirah and a dressing table. They are also used as finished goods and are purchased by consumers who fall under all income groups. Consumers use the same in their houses for bathroom fittings and dressing rooms.
93. The domestic industry provided the quantification of impact by considering the share of the total cost of unframed glass mirrors in the finished consumer goods, having regard to the consumption of the end products in a household.
94. It has been contended by the domestic industry that the share of the total cost of unframed glass mirrors in the finished consumer goods is extremely low. Thus, the imposition of duties will not have a significant impact on the end-user.
95. Fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, the imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods. To ensure the continued availability of a competitive domestic product, it is necessary that the domestic industry also remain viable at fair prices failing which the users would become increasingly dependent on the dumped imports.
96. Imposition of anti-dumping duty will not restrict the imports of the PUC and would only ensure that it would enter into the Indian territory at a fair price. The antidumping duty is meant only to prevent dumped imports and provide a remedy to the domestic industry whose growth has been materially injured. A substantial share of the market would still be catered by such imports.
97. The Authority notes that trade remedial measures are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers through the imposition of appropriate duties against unfair imports of the subject goods. At the same time, the Authority is cognizant of the fact that the impact of such duties, in general, is not limited to only the domestic producers of the PUC but can also affect the users as well as consumers of the PUC. Further, imposition of duties may also lead to competition issues within the country and the Authority takes note of the same.

#### **K. POST DISCLOSURE COMMENTS**

98. The Authority notes that the following parties have made comments post-issuance of the disclosure statement. However, the parties which have filed submissions have not registered themselves as interested parties for the purpose of the present investigation and have failed to provide a response or submissions during the course of the investigation.
- a. SUK International
  - b. Kiran International
  - c. Royal Impaxe
  - d. RR Industries
  - e. Shine Glass
99. No other interested parties made any submissions in the present investigation. The views mentioned hereinbelow are that of the abovementioned parties which have failed to register themselves as interested parties.

**K.1. VIEWS OF THE OTHER PARTIES**

100. The following submissions have been made by other parties post-issuance of the disclosure statement:

- i. Glass mirrors are produced using either “sheet glass” or “float mirrors”. The “sheet glass” which is being imported has a thickness ranging from 1.0 mm to 1.25 mm. The “float mirrors” which are being imported have a thickness ranging from 1.5mm to 2.7mm.
- ii. Sheet mirror (aluminum coated) are of two types – (a) “sheet mirror (aluminium coated) on clear glass” and (b) “sheet mirror (aluminium coated on tinted glass”.
- iii. There is only one manufacturer, Emerge Glass Industries, producing sheet mirror aluminium coated by automatic plant having raw material ranging from 1.3mm aluminum mirror – 1.7mm aluminum mirror. emerge glass has a capacity of approximately 100 metric tons per month which can never fulfill the local demand of thinner aluminium mirrors.
- iv. float mirror (aluminium coated) are of three types – (a) float mirror (aluminium coated) on clear glass; (b) float mirror (aluminium coated on tinted glass) and (c) float mirror (color) coated on clear glass having colors like rose gold, pink, golden, rich yellow and some colors which are not produced in India. There is no manufacturer of color coated aluminium mirror in India.
- v. There is only one manufacturer, Gold Plus Glass Pvt. Ltd., who has an automatic aluminium-coated mirror plant which has raw material having a thickness of 3mm and above with them and are selling on monopoly at a high price in Indian market.
- vi. There is no production of the following in India – (a) clear float glass - thickness ranging from 1.5mm to 2.7mm; (b) tinted float glass - thickness ranging from 1.5mm and the above, and (c) Clear sheet glass - thickness ranging from 0.90mm to 1.25mm. The parties have requested to exempt such mirror products which are not produced in India or are produced at a very small quantity.
- vii. The imposition of duties will affect the supply chain including shipping cargos, railways, cargos, transportation, clearing, custom clearing etc. It would cause a loss of Government Revenue such as Customs Duty, Cess, GST etc. The small-scale manufacturers would be affected. Lastly, the domestic Industry will increase prices if AD is imposed.
- viii. It is requested to exempt PUC from Anti-dumping investigation as many mirror products are not produced in India or are produced at a very small scale. Therefore, import is bound to happen.

**K.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

101. The following submissions have been made by the domestic industry post issuance of the disclosure statement:

- i) The domestic industry has reiterated its submissions made previously, that raw material price for Gold Plus and Emerge Plus should be considered at market price, not at captive input cost.
- ii) Domestic producers like Gold Plus sell glass in the market, and their performance should be evaluated based on market prices of glass. If captive input is taken at cost, then the return for the same should be added.
- iii) Some domestic glass producers are suffering losses, especially those who buy glass from the market. In contrast, companies like Gold Plus, which produce their own glass, are profitable. Even among such producers, like Emerge Glass, losses are apparent. Gold Plus' capacity utilization significantly decreased from 2021-22 to POI, indicating higher profits from selling glass in the market than from selling glass mirrors.
- iv) Several glass companies, including Arun Glassworks, Antique Glass, and Shreeji Industries, have experienced reduced production indicated by declining electricity payments. Antique Glass and Kalkaji Glass, saw sales drop over four years. Able Glass Instruments struggled with declining turnover, leading to loan repayment issues. Manhar Glass lowered prices due to competition from Chinese imports. Emerge Glass, despite its size, faced significant sales declines from 2020-21 to 2022-23, forcing closure of one production line due to imports.
- v) Up until declining imports i.e. 2021-22, performance of the domestic industry improved. In the POI with an increase in imports, the industry's performance also deteriorated.
- vi) The capacity utilisation of industry is extremely low and declining, in fact much below the utilisation of the Indian MSME sector.

- vii) Landed price is significantly below selling price and cost of production. In fact, it is much below even below cost of glass.
- viii) The duties be imposed in US dollars due to significant depreciation of the rupee. This depreciation affects the costs of raw materials, utilities, and other expenses. Reliance has been placed on CESTAT's decision in Metcoke from China.

### K.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

102. The Authority has examined the post-disclosure comments made by the domestic industry are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant parts of this final findings notification.
103. As regards the submissions made by other parties namely, SUK International, Kiran International, Royal Impaxe, RR Industries and Shine Glass regarding the scope of the investigated product and requests for exclusions, the same arrived late in the investigation process. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the PUC and propose PCN methodology. The Authority received comments only from the All-India Mirror Manufacturers Association (AIMMA). As these belated submissions lack sufficient evidence or rationale, they are inadmissible at this stage. Furthermore, they failed to establish whether the products in question, for which exclusions were requested, differed significantly from those under investigation and had distinct uses. The Authority has examined and verified the information provided by the domestic industry and it is seen that the goods produced by the domestic industry are "like article" to the subject goods being imported from the subject country. Hence, the request for exclusion raised at this belated stage is not accepted by the Authority.

### CONCLUSION AND RECOMMENDATION

104. Based on the submissions made, substantiated information provided by the interested parties and the facts available before the Authority as recorded and examined in the aforementioned paragraphs and on the basis of the determination of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:
- i) The investigation was initiated based on the representation filed by the Association on behalf of the producers of the subject goods.
  - ii) The article manufactured by the domestic industry is 'like article' to the subject goods imported from the subject country in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.
  - iii) Framed glass mirrors or decorative glass mirrors and mirror glass coated by silver are specifically excluded from the scope of the product under consideration.
  - iv) The dumping margin is not only above the *de-minimis* level but also significant. The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping.
  - v) With respect to the volume effect of the imports on the state of the domestic industry as required to be assessed under para (ii) of the AD Rules, 1995, it was found that the volume of imports from the subject country decreased from the base year i.e., 2019 – 2020 to 2020 – 21 but increased significantly from 2021 – 2022 up to the POI. The demand for the product had declined marginally in 2020-2021 but increased significantly since then.
  - vi) The market share of the domestic industry during the POI has significantly declined. The market share of imports from the subject country has increased.
  - vii) The volume of imports and the dumping margin of the subject goods from the subject countries were found to be above *de minimis* thresholds as stipulated under para (iii) of Annexure – II to the AD Rules, 1995.
  - viii) The landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry. Further, the selling price is even below the level of cost of sales throughout the injury period. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry in the market.
  - ix) As regards the effect of such dumped on the economic parameters of the domestic industry, the following conclusions were reached:
    - a. The performance of the domestic industry in terms of production, installed capacity, sales volumes has declined during the POI as compared to the base year.

- b. The profitability of the domestic industry has declined in the POI.
- c. The average inventories of the applicant have increased during the POI as compared to the previous years of the injury period.
- d. The salary and wages, productivity per day, and increased till 2021-22 and declined during POI. This is due to the significant decline in production of the domestic industry..
- x) The domestic has suffered material injury as a result of the dumped imports. The injury margin is significant.
- xi) The Authority has examined that no other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries.
- xii) The Authority has noted the impact of anti-dumping duty on the users. It is seen that the impact of the recommended measures will be very small considering the nature of the PUC being consumed. The imposition of anti-dumping duty would not have any significant adverse impact on public interest.
105. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, embassies of the subject country, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and causal link in terms of Rules and having established a positive dumping margin as well material injury to the domestic industry caused by such imports, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is needed.
106. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti- dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table appended below.

#### DUTY TABLE

S.N.	Heading/sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer/exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7009.91.00	Unframed Glass Mirror*	China PR	Any country including China PR	Any	234	MT	USD
2.	7009.91.00	Unframed Glass Mirror*	Any other than China PR	China PR	Any	234	MT	USD

*\*Framed glass mirrors or decorative glass mirrors and mirror glass coated by silver are specifically excluded from the scope of the product under consideration.*

#### M. FURTHER PROCEDURE

107. An appeal against this determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

ANANT SWARUP, Designated Authority